RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष २, अंक ६] **गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १-७, २०१६/भाद्र १०-१६, शके १९३८** **[पृष्ठे ९६**

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६, सन् २०१३.—महाराष्ट्र भूगर्भजल (विकास तथा प्रबंधन) अधिनियम, २००९ . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७, सन् २०१३.—महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१३ . .	१८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८, सन् २०१३.—महाराष्ट्र विनियोग (अधिक व्यय) अधिनियम, २०१३ . .	७०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९, सन् २०१३.—महाराष्ट्र विनियोग (द्वितीय अधिक व्यय) अधिनियम, २०१३ . .	७७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३०, सन् २०१३.—महाराष्ट्र नरबलि तथा अन्य अमानविय, अनिष्ठकारी और अघोरी प्रथाओं और काला जादू की रोकथाम तथा उन्मूलन अधिनियम, २०१३	८२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१, सन् २०१३.—महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३. .	८८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२, सन् २०१३.—महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३	८९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३, सन् २०१३.—महाराष्ट्र गन्ना कीमत विनियमन (कारखानों को अपूर्ति) अधिनियम, २०१३.	९२

MAHARASHTRA ACT No. XXVI OF 2013.

THE MAHARASHTRA GROUNDWATER (DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) ACT, 2009..

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक २२ नवंबर २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVI OF 2013.

AN ACT TO FURTHER FACILITATE AND ENSURE SUSTAINABLE, EQUITABLE AND ADEQUATE SUPPLY OF GROUNDWATER OF PRESCRIBED QUALITY, FOR VARIOUS CATEGORY OF USERS, THROUGH SUPPLY AND DEMAND MANAGEMENT MEASURES, PROTECTING PUBLIC DRINKING WATER SOURCES AND TO ESTABLISH THE STATE GROUNDWATER AUTHORITY AND DISTRICT LEVEL AUTHORITIES TO MANAGE AND TO REGULATE, WITH COMMUNITY PARTICIPATION, THE EXPLOITATION OF GROUNDWATER WITHIN THE STATE OF MAHARASHTRA, AND MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६, सन् २०१३।

(जो कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक ३ दिसंबर २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों को संरक्षित कर आपूर्ति तथा मांग प्रबंधन उपायों के जरिए विभिन्न उपयोगकर्ता प्रवर्गों के लिए विहित गुणवत्तावाले भूगर्भजल की लगातार तथा पर्याप्त आपूर्ति सुकर बनाने तथा सुनिश्चित करने तथा सामुदायिक सहभाग से भूगर्भ जल के उपयोग का प्रबंधन करने तथा विनियमित करने के लिए राज्य भूगर्भजल तथा जिला स्तर प्राधिकरणों की स्थापना करने ; तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों को संरक्षित कर आपूर्ति तथा मांग प्रबंधन उपायों के जरिए विभिन्न उपयोगकर्ता प्रवर्गों के लिए विहित गुणवत्तावाले भूगर्भजल की लगातार तथा पर्याप्त आपूर्ति सुकर बनाने तथा सुनिश्चित करने तथा सामुदायिक सहभाग से भूगर्भ जल के उपयोग का प्रबंध करने तथा विनियमित करने के लिए राज्य भूगर्भजल तथा जिला स्तर प्राधिकरणों की स्थापना करने ; तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए एक विधि बनाना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतदद्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र भूगर्भजल (विकास तथा प्रबंधन) अधिनियम, २००९ कहलाए ।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषायें ।

२. (१) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(एक) " जलप्रस्तर " का तात्पर्य, जमीन के नीचे पानी के साथ संतृप्त हुए शैल-समूह से है ;

(दो) " प्रभावित क्षेत्र " का तात्पर्य, उस संपूर्ण क्षेत्र से है जिसके नीचे भूगर्भजल या दाब सतह रेखा पम्प द्वारा रूपान्तरित की गई है, जिसमें दबाव पम्प करने का क्षेत्र तथा विपथन का क्षेत्र सम्मिलित होगा ;

(तीन) " भूगर्भ जल का कृत्रिम पुनर्भरण " का तात्पर्य, उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा भराई की स्वाभाविक स्थिति के अधीन पुनर्भरण से अधिक भूगर्भजल जलाशय संवर्धित किया गया है ;

(चार) " गहरा कुंआ " का तात्पर्य, मशिन द्वारा बनाये गये प्रायः ऊर्ध्व गढ्ढे या छेद से है जो चट्टानों या मिट्टी के जिसे वह छेदते है छिद्रों, अपक्षीण स्तर, दरार, भंजन या जोड़ से भूगर्भजल प्राप्त करते है, और इसमें सामान्यतः साठ मीटर या उससे अधिक गहराई का बोर कुंआ, ट्यूबवेल शामिल होगा जिसमें एक या अधिक जलीय टोंटी हो ;

(पांच) " जिला प्राधिकारी " का तात्पर्य, धारा १७ के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से है ;

(छह) " जिला जलसंभर प्रबंध समिति " का तात्पर्य, धारा १८ के अधीन गठित जिला जलसंभर प्रबंध समिति से है ;

(सात) जल के उपयोग के संबंध में " पेयजल प्रयोजन " का तात्पर्य, पीने के लिए तथा खाना बनाने, नहाने, धुलाई, सफाई तथा अन्य दैनंदिन क्रियाकलापों जैसे अन्य घरेलू प्रयोजनों के लिए मनुष्यों द्वारा पानी के उपभोग या उपयोग से है, और इसमे पशुओं के लिए इसी के समान ऐसे संबंधित प्रयोजनों के लिए पानी का उपयोग शामिल होगा ;

(आठ) " सशक्त समिति " का तात्पर्य, धारा १५ के अधीन विनिर्दिष्ट सशक्त समिति से है ;

(नौ) " विशेषज्ञ निकाय " का तात्पर्य, भूगर्भ जल क्षेत्र में काम करने वाले केन्द्र या राज्य सरकार के संगठनों, संस्थाओं या एजेंसियों तथा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकारण द्वारा प्रत्यायित निजी क्षेत्र के तथा अशासकीय संगठनों से है ;

(दस) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ग्यारह) " भूगर्भ जल " का तात्पर्य, संतृप्तिकरण के क्षेत्र में जमीन के नीचे स्थित जलीय मात्रा से है जिसे कुंओं, बोर कुंओ, ट्यूबवेल या किसी अन्य साधन के जरिए निकाला जा सकता है या झरने के रुप में तथा नदियों और सरिताओ में बहने वाले पानी से है ;

(बारह) " भूगर्भ जल, सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी " का तात्पर्य, सरकार के जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग के अधीन की भूगर्भ जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी से है ;

(तेरह) " जलविज्ञान वर्ष " का तात्पर्य, १ जून से प्रारम्भ तथा प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष के ३१ मई को समाप्त होने वाले वर्ष से है ;

(चौदह) " एकीकृत जलसंभर विकास तथा प्रबंध योजना " का तात्पर्य, धारा ९ की उप-धारा (२) के अधीन तैयार की गई एकीकृत जलसंभर विकास तथा प्रबंध योजना से है ;

(पंद्रह) " अन-अधिसूचित क्षेत्र " का तात्पर्य, अधिसूचित क्षेत्रो से अन्य क्षेत्रो से है ;

(सोलह) " अधिसूचित क्षेत्र " का तात्पर्य, धारा ४ में उपदर्शित प्रक्रिया अपनाकर भूगर्भ जल निकालने के विनियमन के लिए प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किये गये केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय जारी मार्गदर्शनों के आधार पर किये गये भूगर्भ जल प्राक्कलन के अनुसार अति-विदोहित या नाजुक स्थितिवाले या जल की खराब गुणवत्तावाले जलसंभर या जलीय भाग या ऐसे किसी वर्गीकरण में शामिल क्षेत्रों से है ;

(सत्रह) " पंचायत " का तात्पर्य, बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम, १९५८ के अधीन स्थापित या स्थापित की गई समझी गई पंचायत से है ; सन् १९५९ का बम्बई २३।

(अठारह) " पंचायत समिति " का तात्पर्य, महाराष्ट्र जिला परिषद, तथा पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित पंचायत समिति से है ; सन् १९९२ का महा. ५।

(उन्नीस) " विहित " का तात्पर्य, नियमों द्वारा विहित से है ;

(बीस) " सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत " का तात्पर्य, ऐसे स्त्रोत से है जिसमें से राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या ऐसा अन्य प्राधिकरण जैसा राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें जनता को जल उपलब्ध करते है और इसमें ऐसा कुंआ, बोर कुंआ, ट्यूबवेल या अन्य कोई पेयजल स्त्रोत शामिल होगा, जैसा जिला प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाये ;

(इक्कीस) " सार्वजनिक जलआपूर्ति प्रणाली " का तात्पर्य, सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत से संबंधित संरचना से है, इसमें प्रवहण पाइप लाइन, भंडारण जलाशय, स्थिर खंभा, टंकी, हैडपंप, पावर पम्प तथा उससे सम्बन्धित अन्य सामग्री शामिल होगी, जिनके जरिए पेयजल के प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है ;

(बाईस) " वर्षा जल संचय " का तात्पर्य, सतह पर जलीय उप-सतह पर या अन्य संरचना पर वर्षा के जल के संग्रहण तथा भंडारण की तकनीक से है ;

(तेईस) " पुनर्भरण योग्य क्षेत्र " का तात्पर्य, भुगर्भ जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी द्वारा यथा अंकित भूगर्भ जल पुनर्भरण तथा भंडारण के लिए अनुकूल क्षेत्र से है ;

(चौबीस) " नियम " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है ;

(पच्चीस) " रेत खनन " का तात्पर्य, नदियों सरिताओं, झीलों आदि के तटाग्रों तथा तटीय क्षेत्रों से भी रेत को वास्तविक रुप से हटाने की प्रक्रिया से है ;

(छब्बीस) कुंए के सम्बन्ध में अपने समस्त व्याकरणिक रुप भेदो तथा सजातीय अभिव्यक्तियों सहित " खोदना " का तात्पर्य में, नवीन कुंए की या विद्यमान कुंए पर खुदाई, छेद करना या वेधन करना, विद्यमान कुएं को गहरा करना तथा बहि:प्रकोष्ठ तथा दीर्घा में सुधार करना शामिल है ;

(सत्ताईस) " क्षेत्र का पणधारी " का तात्पर्य, भूगर्भ जल की योजना बनाने, सुधार करने, विनियमन तथा प्रबंध तथा उसके उपयोग से सम्बन्धित प्राधिकरण, निगमित निकाय तथा व्यक्तियों से है ;

(अठ्ठाईस) " राज्य प्राधिकरण " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन स्थापित राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण से है ;

(उनतीस) " राज्य जलसंभर प्रबंध परिषद " का तात्पर्य, महाराष्ट्र जलस्त्रोत विनियमनकारी प्राधिकरण अधिनियम, २००५ की धारा १६ के अधीन गठित राज्य जल परिषद से है ; सन् २००५ का महा. १८।

(तीस) " तलाठी " का तात्पर्य, ग्राम स्तर या ग्रामवर्ग स्तर की राजस्व कृत्यकारी से है ;

(इकतीस) " नगर स्थानीय निकाय " का तात्पर्य, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के अधीन गठित परिषद, तथा मुम्बई नगर निगम अधिनियम या नागपूर नगर नियम अधिनियम, १९४८ या बम्बई प्रान्तीय नगर निगम अधिनियम, १९४९ के अधीन गठित नगर निगम से है ; सन् १९६५ का महा. ४०। सन् १८८८ का बम्बई ३।

(बत्तीस) " भूगर्भ जल उपयोगकर्ता " का तात्पर्य, कंपनी या स्थापना, चाहे सरकारी हो या गैर-सरकारी, जल उपयोगकर्ता संगठन, भूगर्भ जल उपयोगकर्ता संगठन, औद्योगिक उपयोगकर्ता, संगठन, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी संस्था, पंचायत, निजी धोक उपयोगकर्ता, निजी रजिस्ट्रीकृत निकायों आदि समेत व्यक्ति या व्यक्तियों या संस्था से है, जो घरेलू, औद्योगिक या कृषि प्रयोजनों समेत किसी प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल निकालते तथा उपयोग करते या बेचते है ; सन् १९५० का मध्य प्रान्त तथा बरार २। सन् १९४९ का बम्बई ५९।

(तैंतीस) " जल सूखाग्रस्त क्षेत्र " का तात्पर्य, धारा २५ के अधीन जिला प्राधिकरण द्वारा इस रूप में घोषित क्षेत्र से है ;

(चौंतीस) " जलसंभर " का तात्पर्य, इस अधिनियम के प्रयोजनों को ध्यान में रखकर, भूगर्भ जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी द्वारा यथा परिलक्षित तथा समय-समयपर अधिसूचित स्थलाकृति जल विभाजक रेखा के भीतर परिरुद्ध क्षेत्र से है ;

(पैंतीस) " जलसंभर या जलीय आधारित भूगर्भ जल उपयोग योजना " का तात्पर्य, भूगर्भ जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी की तकनीकी सहायता से जलसंभर जल स्त्रोत समिति या पंचायत द्वारा तैयार की गई भूगर्भ जल योजना से है, जो जलसंभर या जलीय स्तर में भूगर्भ जल स्थिति या स्तर दर्शाती है और इसमें जलविज्ञान वर्ष के दौरान भूगर्भ जल के पुनर्भरण तथा निकालने दोनों का जलीय लेखा तथा जल बजट शामिल होगा ;

सन् २००५ का महा. १८।

(छत्तीस) " जल स्त्रोत अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र जल स्त्रोत विनियनकारी प्राधिकरण अधिनियम, २००५ से है ;

(सैंतीस) " जल उपयोगकर्ता संगठन " का तात्पर्य, लघुस्तर या उससे ऊपर के स्तर पर बनाये गये जल उपयोगकर्ता संगठन से है, जो किसी परियोजना, नहर या प्राकृतिक धारा या भंडारण प्रणाली के खण्ड से सिंचाई जल उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है ;

(अड़तीस) " जलसंभर जल स्त्रोत समिति " का तात्पर्य, धारा २९ के अधीन गठित जलसंभर जल स्त्रोत समिति से है ;

(उनतालीस) " कुंए " का तात्पर्य, व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भूगर्भ जल की खोज या निकालने के लिए खोदे गये कुंए से है और इसमें भूगर्भ जल का वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यवेक्षण, संवर्धन, परिरक्षण, संरक्षण या प्रबंध करने के लिए केन्द्र या राज्य सरकार के प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा खोदी गई संरचना को छोडकर, खुला-कुंआ, खोद-कुंआ, बोरवेल, खोद तथा बोर कुंआ, ट्यूबवेल, फिल्टर पाइंट, संग्राहक कुंआ, अन्तःस्त्रुप नाली, पुनर्भरण कुंआ, प्रबंध कुंआ या उनमें से किसी का भी संयोग या रुपान्तरण शामिल होगा।

(२) इस अधिनियम में उपयोग किये गये तथा परिभाषित न किये गये किन्तु, राज्य के विभिन्न सिंचाई या जलस्त्रोत या अन्य सम्बधित अधिनियमों में परिभाषित न किये गये प्रवृत्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किया गया है।

अध्याय-दो

राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण, उसकी शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्य

राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण ।

३. (१) जलस्त्रोत अधिनियम, की धारा ३ के अधीन स्थापित महाराष्ट्र जल स्त्रोत विनियमनकारी प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण होगा, जो ऐसी रीत्या जैसा कि विहित किया जाये, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसे समनुदेशित कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

(२) जलस्त्रोत अधिनियम की धारा ४ की उप-धारा (१) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट पांच विशेष आमंत्रितियों के अलावा, राज्य प्राधिकरण नीतिसम्मत विनिश्चय लेने में राज्य प्राधिकरण की सहायता के लिए भूगर्भ जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी के निदेशक तथा भूगर्भ जल क्षेत्र के एक विशेषज्ञ तथा भूगर्भ जल उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करनेवाली एक महिला को, जैसा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, तथा ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर, जैसा कि विहित की जायें, आमंत्रित करेगा ।

भूगर्भ जल के विकास तथा प्रबंधन को विनियमित करने के लिए क्षेत्र अधिसूचित करने की शक्ति ।

४. (१) राज्य प्राधिकरण, भूगर्भ जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी की सिफारिश तथा केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण समेत भूगर्भ जल क्षेत्र में काम करनेवाली विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिक भूगर्भजल संतुलन तथा भूगर्भ जल गुणवत्ता अध्ययन तथा भूगर्भजल प्राक्कलन पर आधारित विचार प्राप्त करने के बाद तथा उस क्षेत्र के भूगर्भजल उपयोगकर्ताओं के विचार के अभिनिश्चयन के बाद, यह राय होती है कि जलसंभर या जलस्तर क्षेत्र में किसी भी तरह भूगर्भ जल निकालने या के उपयोग को विनियमित करना लोकहित में आवश्यक या इष्टकर है तो ऐसे क्षेत्र को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा उसमें यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन कोई क्षेत्र अधिसूचित किये जाने पर, राज्य प्राधिकरण, अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल के विकास तथा प्रबंधन को बढ़ावा देणे तथा के विनियमन के उद्देश से, इस अधिनियम की धारा २९ के अधीन जलसंभर जलस्त्रोत समिति स्थापित करेगा ।

क्षेत्रों को अधिसूचना में से निकालने की शक्ति ।

५. यदि, राज्य प्राधिकरण की राय में, अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता में सुधार आया है तो वह, भूगर्भ जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी से परामर्श के बाद तथा केन्द्रीय भूगर्भजल प्राधिकरण समेत विशेषज्ञ निकायों के विचार प्राप्त करने के बाद, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को अधिसूचना में से निकाल सकेगा ।

जल गुणवत्ता का संरक्षण ।

६. (१) कोई भी भूगर्भजल उपयोगकर्ता ऐसा कोई कार्य नही करेगा या कोई बहि:स्त्राव नही छोडेगा जो भूगर्भ जल को या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से संदूषित करते है ।

(२) राज्य प्राधिकरण, भूगर्भजल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी तथा जिला प्राधिकरण के परामर्श से, ऐसे उपाय करेगा जो राज्य के अधिसूचित तथा अन-अधिसूचित क्षेत्रों के पेयजल स्त्रोत की जल गुणवत्ता के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए आवश्यक हों ।

(३) राज्य प्राधिकरण, पेयजल स्त्रोतों के संरक्षण तथा योग्य क्षेत्रों के पुनर्भरण के लिए उपायों समेत राज्य के समस्त विद्यमान पेयजल स्त्रोतों की भूगर्भजल गुणवत्ता के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए ऐसे आवश्यक उपाय करेगा, जैसा कि विहित किया जाये ।

(४) ऐसे उपायों के कार्यान्वयन के लिए, आवश्यक निधियाँ राज्य सराकर द्वारा राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जायेंगी ।

(५) राज्य प्राधिकरण, ग्रामीण या शहरी स्थानीय निकायों समेत भूगर्भजल के प्रदूषणकर्ता को भूगर्भ स्त्रोतों को प्रदूषित करने से विरत करेगा या प्रदूषणकर्ता के खर्च पर, जल की गुणवत्ता विहित मानक पर बनाए रखने के लिए ऐसे उपाय करेगा, जैसा कि विहित किया जाये ।

राज्य में कुंए के स्वामियों का रजिस्ट्रीकरण ।

७. राज्य प्राधिकरण ऐसी रीत्या, जैसा कि विहित किया जाये, राज्य के अधिसूचित तथा अन्-अधिसूचित दोनों क्षेत्रों के कुंओं के सभी स्वामिओं का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करेगा ।

गहरा कुंआ खोदने, विद्यमान गहरे कुंए से भूगर्भजल निकालने तथा उपकर उद्ग्रहीत करने का प्रतिषेध ।

८. (१) राज्य प्राधिकरण, कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिए, अधिसूचित तथा अन्-अधिसूचित क्षेत्र में गहरा कुंआ खोदना प्रतिषिद्ध करेगा :

परन्तु, राज्य प्राधिकरण, पेयजल प्रयोजनों के लिए, लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के बाद तथा विहित रीत्या में, अधिसूचित या अन्-अधिसूचित क्षेत्र में कोई गहरा कुंआ खोदने के लिए किसी व्यक्ति या भूगर्भजल उपयोगकर्ता को विशिष्ट अनुमति अनुदत्त कर सकेगा ।

(२) राज्य प्राधिकरण, अधिसूचित क्षेत्र के भीतर किसी प्रयोजन हेतु गहरे कुंए से अन्य कुंए के संनिर्माण पर पूर्ण पाबंदी विनियमित करेगा ;

(३) राज्य प्राधिकरण के परामर्श पर, राज्य सरकार, अन्-अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान गहरे कुंए के उपयोग पर ऐसे उपकर के उद्ग्रहण के लिए संबंधित प्राधिकरण को ऐसा मार्गदर्शन देगी जैसा विहित किया जाए :

परन्तु, उद्ग्रहीत उपकर का आगम संबंधित प्राधिकरण द्वारा पंचायत या, यथास्थिति, शहरी स्थानीय निकाय को अग्रेषित किया जायेगा तथा उसका उपयोग भूगर्भ जल संरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किया जायेगा ।

(४) राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण को अधिसूचित क्षेत्र के विद्यमान गहरे कुंओं में से साठ मीटर या उससे अधिक गहराई से भूगर्भ जल पम्प करने पर पूर्ण प्रतिषेध लगाने का निदेश देगा । अधिसूचित क्षेत्र के गहरे कुंए के उपयोगकर्ता धारा १० के अधीन तैयार किये गए भूगर्भ जल उपयोग प्लान तथा फसल प्लान का अनुसरण करेंगे । राज्य सरकार ऐसे उपयोगकर्ताओं से ऐसे समय तक, जबतक ये प्लान अधिसूचित करते हैं, समुचित उपकर उद्ग्रहीत करेगी । जिला प्राधिकरण उसका ऐसी रीत्या कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा, जैसा कि विहित किया जाये ।

(५) कोई भी व्यक्ति या भूगर्भ जल उपयोगकर्ता, जिला प्राधिकरण की यथाविहित रीत्या प्राप्त पूर्वानुमति के बगैर अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल के विक्रय में आसक्त नहीं होगा ।

भूगर्भ जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए वर्षा जलसंचय।

९. (१) राज्य प्राधिकरण, भूगर्भ जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी तथा केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड के परामर्श से, राज्य के पुनर्भरण योग्य क्षेत्रों की पहचान करेगा तथा भूगर्भ जल के पुनर्भरण के लिए वर्षा जलसंचय के लिए आवश्यक मार्गदर्शन जारी करेगा ।

(२) राज्य प्राधिकरण, जिला जलसंभर प्रबन्ध समिति को, जलसंभर जलस्त्रोत समिति **पंचायत** तथा भूगर्भ सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी के परामर्श से अधिसूचित क्षेत्रों के लिए तथा तत्पश्चात् अन-अधिसूचित क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूगर्भ जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एकीकृत जलसंभर विकास तथा प्रबंध योजना तैयार करने का निदेश देगा । यह योजना राज्य की उप-द्रोणी तथा द्रोणीनुसार जल योजना का एक हिस्सा होगी ।

(३) राज्य सरकार तथा राज्य प्राधिकरण, जलसंभर जलस्त्रोत समिति तथा **पंचायत** के परामर्श से एकीकृत जलसंभर विकास तथा प्रबन्धन योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी । राज्य सरकार, अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एकीकृत जलसंभर विकास तथा प्रबन्धन योजना प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करेगी । इस अधिनियम के अधीन गठित जिला जलसंभर प्रबन्ध समिति कार्यन्वयन को ऐसी रीत्या मानीटर करेगी, जैसा कि विहित किया जाये ।

(४) ऐसे उपायों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधियाँ, राज्य सरकार द्वारा राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जायेंगी ।

(५) राज्य प्राधिकरण, सामुदायिक सहभाग के जरिए, भूगर्भ जल पुनर्भरण को सुकर बनाने के लिए जलसंभर विकास तथा प्रबंध के पणधारियों की वचनबद्धता सुनिश्चित करेगा ।

(६) राज्य प्राधिकरण, अधिक पानी की आवश्यकतावाली फसल उगानेवाले भूगर्भ जल उपयोगकर्ताओं को ऐसी रीत्या, अप्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन जारी करेगी, जैसा कि विहित किया जाये ।

(७) अधिसूचित क्षेत्रों में आनेवाले शहरी क्षेत्रों में, राज्य प्राधिकरण, एक सौ वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रवाले अनुकूल या तकनीकी रूप से उपयुक्त आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य परिसरों में अनुबद्ध समय के भीतर समुचित वर्षा जलसंचय संरचना का संनिर्माण सुनिश्चित करने के लिए संम्बधित प्राधिकरणो या शहरी स्थानीय निकायों को निदेश जारी करेगा, ऐसा न करने पर शहरी स्थानीय निकाय ऐसी वर्षा जल संचय संरचना संनिर्मित करवायेगी तथा अधिभोगियों से उपगत व्यय शास्ति समेत विहित रीत्या वसूल करेगी ।

(८) संबंधित विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शहरी स्थानीय निकाय या, यथास्थिति कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण संनिर्माण के लिए मंजूरी देने से पूर्व, भवन के प्लान में एक सौ वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र का छतपर वर्षा जल संचय संरचना का उपबन्ध करने के लिए आवश्यक शर्तें अधिरोपित कर सकेगा तथा इस बारे में दिए गए निदेशों का अनुपालन करने के बाद ही स्थायी जल तथा बिजली कनेक्शन विहीत रीत्या आगे बढ़ाया जायेगा ।

(९) राज्य प्राधिकरण स्वयं या अन्य एजेंसियों के जरिए, वर्षा जल संचय तथा भूगर्भजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वयंसेवक संघटनों, शिक्षा संस्थाओं, उद्योगों या व्यक्तियों के जरिए, जलसंभर जल स्त्रोत समिति तथा पणधारियों के लिए सामूहिक चेतना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कदम उठायेगी ।

(१०) राज्य प्राधिकरण, राज्य सरकार के जरिए विहित रीत्या कुछ प्रोत्साहन देकर, जलसंभर जल स्त्रोत समिति ग्रामीण, स्थानीय समुदायों या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों, अभिनव कार्यवाही को बढ़ावा या प्रोत्साहन दे सकेगा ।

भूगर्भ जल उपयोग योजना तथा फसल योजना ।

१०. (१) राज्य प्राधिकरण की सलाह पर, राज्य सरकार, सम्बन्धित सरकारी प्राधिकरणों को, जिला प्राधिकरण, जलसंभर जलस्त्रोत समिति तथा पंचायत के परामर्श से अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल उपयोग जोजना पर आधारित भावी फसल योजना तैयार करने के लिए निदेश देगा :

यह योजना सभी पणधारियों के पर आबद्धकर होगी तथा योजना का अननुपालन इस अधिनियम के अधीन संज्ञेय अपराध समझा जायेगा ।

(२) राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण की सलाह पर, सम्बन्धित सरकारी प्राधिकरणों को अधिक जल की आवश्यकतावाली फसल के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधा तथा संयोजन सृजित करने का निदेश देगी ।

(३) राज्य प्राधिकरण, जलसंभर जलस्त्रोत समिति की तथा भूगर्भजल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी की सिफारिश तथा जलसंभर या जलीय आधार के भूगर्भ जल उपयोग योजना तथा फसल योजना के आधार पर अधिसूचित क्षेत्रों में अधिक जल की आवश्यकतावाली फसलों पर पूर्णत: प्रतिषेध घोषित कर सकेगा :

परन्तु, ऐसे क्षेत्र का कोई भी भूगर्भ जल उपयोगकर्ता, ऐसे अधिक जल की आवश्यकता-वाली फसल बोने की अनुज्ञा के लिए, जलसंभर जलस्त्रोत समिति को ऐसी रीत्या प्रस्ताव कर सकेगा जैसा कि विहित किया जाये। जलसंभर जलस्त्रोत समिति, ऐसे क्षेत्र के किसी भूगर्भ जल उपयोगकर्ता द्वारा की गई ऐसे अधिक जल की आवश्यकतावाली फसल बोने की अनुमति के लिए अनुरोध प्राप्त करने पर ऐसी फसल बोने के अनुरोध पर इस शर्त पर विचार कर सकेगा कि आवेदक ऐसी फसल बोने में भूगर्भ जल का कम से कम उपयोग करे तथा गाँव के जल बजट को बनाए रखने के लिए अपने खुद के खर्च से ऐसा जल संरक्षण उपाय भी करेगा ।

निवारक उपाय के लिए मार्गदर्शन ।

११. राज्य प्राधिकरण, भूगर्भ जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी के परामर्श से, अन-अधिसूचित क्षेत्रों में जलसंभर तथा जलीय आधार भूगर्भजल उपयोग योजना के कार्यान्वयन के बारे में सम्बन्धित सरकारी प्राधिकरणों को आवश्यक मार्गदर्शन जारी करेगा । राज्य प्राधिकरण, संकटपूर्ण या प्रदूषित बनने की संभावनावाले क्षेत्रों को वरीयता देगा तथा जलस्त्रोत की उपलब्धता तथा जलसंभर अनुसार भूगर्भजल उपयोग योजना के अनुसार योग्य फसल पद्धति अंगीकृत करने के लिए अन-अधिसूचित किसानों को बढ़ावा देने के लिए भी निदेश देगा ।

ड्रिल करनेवाली एजेंसी का रजिस्ट्रीकरण ।

१२. राज्य प्राधिकरण, राज्य के ड्रिल पूर्जा स्वामियों तथा आपरेटरों के भूगर्भ जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी के पास, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर तथा ऐसी रीत्या जैसा कि विहित किया जाए, अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का मानीटर करेगा ।

कुंए के लिए सुरक्षा उपाय।

१३. राज्य प्राधिकरण, कुंओं की सुरक्षा लिए समुचित पूर्वावधानी उपाय करने के लिए सम्बन्धित सरकारी प्राधिकरणों को मार्गदर्शन जारी करेगा । क्षेत्र की **पंचायत** तथा शहरी स्थानीय निकाय उसे मानिटर करेगा ।

राज्य प्राधिकरण की शक्तियाँ तथा कर्तव्यों की प्रत्यायोजन।

१४. राज्य प्राधिकरण, लिखित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग या निर्वहन की जा सकनेवाली समस्त या कोई शक्तियाँ या कर्तव्य ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा राज्य प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त जारी आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायें, आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, जलसंभर जलस्त्रोत समिति या भूगर्भजल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी के किसी कर्मचारी द्वारा प्रयोग या निर्वहन की जायेंगी ।

सशक्त समिती।

१५. (१) जलस्त्रोत अधिनियम की धारा १५ के अधीन गठित राज्य जल बोर्ड, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सशक्त समिति होगा ।

(२) सशक्त समिति, संपूर्ण राज्य के लिए एकीकृत जलसंभर विकास तथा प्रबंधन योजना को समेकित करेगी तथा उसे राज्य जलसंभर प्रबन्धन परिषद को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी । यह योजना एकीकृत जलसंभर विकास तथा प्रबंधन योजना का एक हिस्सा होगी ।

राज्य जलसंभर प्रबंधन परिषद।

१६. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचनाद्वारा, जलस्त्रोत अधिनियम की धारा १६ के अधीन गठित राज्य जल परिषद को राज्य जलसंभर प्रबन्ध परिषद की जिम्मेदारी सौंपेगी ।

(२) राज्य जल परिषद तथा राज्य जलसंभर प्रबन्ध परिषद संपूर्ण राज्य के लिए एकीकृत जलसंभर विकास तथा प्रबंध योजना अनुमोदित करेगी तथा राज्य जल योजना के साथ उसका एकीकरण सुनिश्चित करेगी ।

अध्याय तीन

जिला प्राधिकरण, उसकी शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्य।

जिला प्राधिकारी।

१७. राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा **तहसीलदार** से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को ऐसे क्षेत्र के लिए, जैसा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, जिला प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।

जिल्हा जलसंभर प्रबंधन समिति का गठन।

१८. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जिला जलसंभर प्रबन्धन समिति के रूप में जानी जानेवाली एक जिला समिति गठित करेगी ।

(२) जिला जलसंभर प्रबन्धन समिति, सभापति के रूप में जिले के पालक मंत्री तथा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जैसा कि विहित किया जाये । कलक्टर, जिला जलसंभरण प्रबन्धन समिति का सदस्य-सचिव होगा ।

(३) जिला जलसंभर प्रबन्धन समिति का विनिश्चय, जिला प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीत्या कार्यान्वित किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये ।

एकीकृत जलसंभर विकास तथा प्रबंध योजना तैयर करना।

१९. जिला जलसंभर प्रबंधन समिति, ऐसी रीत्या, जैसी कि विहित किया जाये, प्राथमिकता के आधार पर, अधिसूचित क्षेत्रों के लिए तथा तत्पश्चात् अन-अधिसूचित क्षेत्रों के लिए भूगर्भजल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी, जलसंभर जलस्त्रोत समिति तथा **पंचायत** के परामर्श से भूगर्भजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एकीकृत जलसंभर विकास तथा प्रबन्धन योजना तैयार करेगी ।

सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत अधिसूचित करने की शक्ति।

२०. जिला प्राधिकरण आदेशद्वारा सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत अधिसूचित करेगा ।

प्रभावित क्षेत्र तथा कतिपय सीमा के भीतर कुंओं के संनिर्माण के प्रतिषेध की अधिसूचना।

२१. (१) धारा २० के अधीन सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत अधिसूचित करने के बाद, ऐसे अधिसूचित जल स्त्रोत के पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति, कोई कुंआ नहीं खोदेगा । जिला प्राधिकरण भूगर्भजल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत के आसपास का प्रभावित क्षेत्र भी परिभाषित तथा अधिसूचित ऐसा प्रभावित क्षेत्र अधिसूचित करने पर कोई भी व्यक्ति, ऐसे प्रभावित क्षेत्र में कोई भी कुंआ नहीं खोदेगा ।

परंतु, इस धारा के उपबन्ध सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत के रूप में उपयोग किये जाने के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की ओर से कुए खोदने को लागू नहीं होगी ।

(२) उप-धारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कुंआ खोदने पर, जिला प्राधिकरण द्वारा ऐसे कुंए को बंद किया जायेगा या उसका अधिहरण किया जायेगा । इस उप-धारा के अधीन ऐसा कोई बंद करने या अधिहरण करने के लिए कोई क्षतिपूर्ति या हरजाना देय नहीं होगा और ऐसा कुंआ बंद करने या अधिहरण करना धारा ५२ के उपबंधोंपर प्रभाव डाले बिना होगा ।

कतिपय अवधि के लिए विद्यमान कुंओं से पानी निकालने का प्रतिषेध ।

२२. यदि, अधिसूचित तथा अन्-अधिसूचित क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र में या प्रभावित क्षेत्र से अन्य अधिसूचित क्षेत्र में, कोई विद्यमान कुआ किसी पेयजल स्त्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो जिला प्राधिकरण, जलसंभर जलस्त्रोत समिति तथा **पंचायत** के विचार अभिनिश्चित करने के बाद तथा भूगर्भजल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी के तकनीकी परामर्श पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधी में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वर्षा की मात्रा तथा प्रकार तथा किसी अन्य सुसंगत कारणों को ध्यान में रखकर तथा उसके स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, ऐसे कुए से युक्तियुक्त अवधि के लिए ऐसी रीत्या जैसा कि विहित किया जाये पानी निकालना प्रतिषिद्ध करेगा ।

पेयजल स्त्रोत का संदूषण से संरक्षण ।

२३. कोई भी व्यक्ति, भूगर्भजल का पेयजल स्त्रोत संदूषित नहीं करेगा । जिला प्राधिकरण, पेयजल स्त्रोत की गुणवत्ता के परिरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठायेगा तथा ऐसे गावों में, जहाँ पेयजल स्त्रोत किसी भी साधन से संदूषित हो रहे है, ऐसी रीत्या, जैसा कि विहित किया जाए, भूगर्भजल निकालने को विनियमित करेगा ।

पंचायत जिला प्राधिकरम की सहायता करेगी ।

२४. इस अधिनियम के अधीन जल अभाव के दौरान पेयजल स्त्रोतों के अविरत प्रबन्ध में तथा पेयजल स्त्रोतों के संरक्षण में **पंचायत** जिला प्राधिकरण की सहायता करेगी ।

अध्याय चार

जल अभाव क्षेत्र की घोषणा और जल अभाव के दौरान पेयजल स्त्रोतों का संरक्षण।

जलअभाव क्षेत्र की घोषणा ।

२५. यदि, मानसून के दौरान या तत्पश्चात्, किसी भी समय पर जिला प्राधिकारी की, भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी के परामर्श के आधार पर **स्वप्रेरणा** से या जलसंभर जल स्त्रोत समिति या पंचायत के अनुरोध पर, जलसंभर क्षेत्र में वर्षा की मात्रा या प्रकार या जलस्तर डाटा किसी अन्य सुसंगत कारण को ध्यान में रखकर यह राय होती है कि जिले के उस जलसंभर क्षेत्र के सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत से पेयजल की उपलब्धता उस क्षेत्र के मानवजाति और पशुओं की जनसंख्या की आवश्यकता से कम होने की संभावना है तो वह आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्र को ऐसी अवधि के लिए जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए किन्तु एक समय में एक जल-विज्ञान वर्ष से अधिक नहीं जल अभाव के क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगा ।

जलअभाव क्षेत्र में कूंओं से जल निकालने का विनियमन ।

२६. धारा २५ के अधीन जल अभाव क्षेत्र की घोषणा पर, जिला प्राधिकारी, ऐसी जल अभाव अवधि के दौरान, आदेशद्वारा, उस क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र के भीतर या सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत से एक किलोमीटर की सीमा के भीतर जो भी अधिक हो, ऐसे रीत्या जैसा कि विहित किया जाए ऐसे कूएँ को अस्थायी रूप से बंद करने समेत किसी कूएँ से भूगर्भजल निकालना विनियमित कर सकेगा ।

प्रतिकर की अदायगी ।

२७. जहाँ धारा २६ के अधीन अस्थायी रूप से कूआँ बंद करने का कोई आदेश बनाया गया है वहाँ, जिला प्राधिकरण, राज्य सरकार के संबंधित विभाग के परामर्श में ऐसी जाँच करने पर और स्वामी से ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करने जैसा कि आवश्यक हो, की अपेक्षा करके आदेश के समय खड़ी फसलों के फल और पेड़ों के बाजार मूल्य का विचार करने के पश्चात्, प्रतिकर संदाय का आदेश ऐसे रीत्या जैसा कि विहित किया जाए दे सकेगा, जो उसके बाजार मूल्य से कम नहीं होगा ।

जल संभर जलस्त्रोत समिति के निर्णयों की जाँच को लागू या प्रवर्तित करने की जिला प्राधिकारी की शक्तियाँ।

२८. (१) जिला प्राधिकरण, जलसंभर जलस्त्रोत समिति के निर्णयों को लागू करेगी । जब कभी भी, सार्वजनिक पेय जलस्त्रोत के संरक्षण या सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली के रखरखाव के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी निर्णयों की जाँच करने या लागू करने या प्रवर्तन करने की आवश्यकता होती है, जिला प्राधिकरण या इस निमित्त सम्यक्तया प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी को पूर्व सूचना देने के बाद,—

(क) सर्वेक्षण कर सकेगा या उसका स्तर माप कर सकेगा ;

(ख) पम्पिंग परिक्षण और भू-भौतिकी सर्वेक्षण कर सकेगा ;

(ग) कूएँ पर जल तल अभिलेख और जल मापी लगा सकेगा तथा बनाए रखेगा ;

(घ) भूमि पर या भूमि के नीचे स्थित भूमि या जल से संबंधित जाँच और कोई मापन करने के अधिकार के साथ सरकारी स्वामित्ववाली संपत्ति समेत किसी सम्पत्ति मे प्रवेश कर सकेगा ;

(ङ) ऐसे कूओं की, जो जलसंभर जलस्त्रोत समिति की अनुमति से या के बिना खोदा गया है, और उनमें से मिट्टी या अन्य सामग्री का उत्खनन किया गया है, की जाँच कर सकेगा और तथा ऐसे कूओं में से उत्खनन की गई ऐसी मिट्टी या अन्य सामग्री या पानी की गुणवत्ता तथा संदूषण जांचने के लिए नमूने ले सकेगा ;

(च) कूएँ खोदनेवाले व्यक्ती को उसमें से उत्खनन की गई मिट्टी या कोई अन्य सामग्री विहित रीत्या, कार्य पूरा होने या के परित्याग के दिनांक से तीन महिने से अनधिक अवधि के लिए ऐसी रित्या, रखने तथा संरक्षित करने का लिखित आदेश दे सकेगा, जैसा जिला प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये तथा ऐसा व्याक्ति ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करेगा ;

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित अभिलेखों या दस्तावेजों का निरक्षम तथा प्रतिलिपी ले सकेगा तथा जाँच कर सकेगा ;

(ज) भूगर्भ जल उपयोगकर्ता को, जिला प्राधिकारी के व्ययों से किसी भूगर्भ जल निकालने की संरचना पर, ऐसा मापक यंत्र लगाने तथा निकाले गये जल की मात्रा मानीटर करने के आदेश दे सकेगा ;

(झ) अवैध खुदाई या संरचना के लिए उपयोग किये गये कोई उपकरण या यंत्र अभिगृहीत कर सकेगा तथा निष्पादित अवैध कार्य तोड सकेगा ;

(ञ) इस अधिनियम के उपबंधो तथा तद्धीन विरचित नियमों का अनुपालन न करनेवाले किसी भूगर्भ जल उपयोगकर्ता को भूगर्भ जल निकालने को बंद करने, उसकी विद्युत आपूर्ति को काटने तथा इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन विरचित नियमों के अनुसार, अवैध पायी गई किसी जलीय संरचना को सील करने के निदेश दे सकेगा ;

(ट) ऐसे स्थान में, ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, प्रवेश कर तथा तलाशी ले सकेगा, जहाँ, उसे यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है या किया जानेवाला है; तथा उसके तीस दिनों के भीतर, ऐसे व्यक्ति को, जिसने अपराध किया है या कर रहा है, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भूगर्भ जल न निकालने या का उपयोग न करने का लिखित आदेश जारी कर सकेगा ;

(ठ) ऐसे परिसर का दरवाजा, व्यक्ति को सूचना देने के बाद, ऐसे मामले में जहाँ व्यक्ति से दरवाजा खोलने को कहे जाने पर वह दरवाजा खोलने से इन्कार करता है, तोडकर खोल सकेगा, जहाँ खुदाई, भूगर्भ जल निकालने तथा उपयोग तथा प्रदूषित किया जा सकता है, जो भूगर्भ जल के अनवरत वृद्धि के लिए हानिकर है ;

(ड) ऐसे अन्य समस्त कार्य कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, ऐसी जाच का अभियोजन करने तथा परीक्षण करने तथा कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है ।

सन् १९७४ का २। (२) दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, १९७३ के उपबंध, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या समपहरण को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा ९३ के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या समपहरण को लागू होते है ।

(३) जहाँ जिला प्राधिकरण उप-धारा (१) के खंड (झ) के अधीन कोई यांत्रिक उपकरण या यंत्र समपहृत करता है तो वह यथा संभव शीघ्र उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को करेगा तथा उसकी अभिरक्षा के लिए उसके आदेश लेगा ।

अध्याय पाँच

जलसंभर जलस्त्रोत समिति उसकी शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य ।

जलसंभर जलस्त्रोत समिति की स्थापना, गठन और निगमन ।

२९. (१) राज्य प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कृत्य और कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए ऐसे रित्या जैसा कि विहित किया जाए, ग्यारह से अधिक ग्रामों के क्षेत्रों को मिलाकर अधिसूचित किये गये क्षेत्र के लिए एक जलसंभर जलस्त्रोत समिति का गठन करेगी ।

(२) जलसंभर जलस्त्रोत समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी :–

(क) संबंधित पंचायत समिति का सभापति, पदेन अध्यक्ष ;

(ख) अधिसूचित क्षेत्र के भीतर की प्रत्येक **पंचायत** और शहरी स्थानीय निकायो से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि जो ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति या जलसंभर विकास तकनीकी समिति का सदस्य होगा या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके पास जल संरक्षण से संबंधित क्षेत्र में या योजना और जल संरक्षण के लिए भूमि के उपयोग में ज्ञान और अनुभव हो, सदस्य ;

(ग) जलपूर्ति और स्वच्छता विभाग, जलस्त्रोत विभाग कृषी, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास और मत्स्य-उद्योग विभाग, भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी से प्रत्येक का एक प्रतिनिधी जो उप-इंजिनियर की श्रेणी से कम नहीं है। सदस्य ;

(घ) अधिसूचित क्षेत्र में प्रत्येक जल उपयोगकर्ता संघ से प्रत्येक का एक प्रतिनिधी, सदस्य ;

(ङ) संबधित **पंचायत समिति** और **जिला परिषद** के निर्वाचित सदस्य ; सदस्य ;

(च) अधिसूचित क्षेत्र के भीतर, जल संरक्षण का कार्य करनेवाले गैर-सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन का एक प्रतिनिधि, आमंत्रिती सदस्य ;

(छ) यदि किसी सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र का एक भाग अधिसूचित क्षेत्र मे समाविष्ट है तो संबंधित जल उपयोगकर्ता संघ का प्रतिनिधी, सदस्य ;

(ज) ब्लाक विकास अधिकारी, पदेन सदस्य-सचिव ।

(३) जलसंभर जलस्त्रोत समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्य महिला होंगी ।

(४) जलसंभर जलस्त्रोत समिति के सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए ।

(५) प्रत्येक सदस्य (जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाला सदस्य नहीं है) को जलसंभर जलस्त्रोत समिति के बैठकों में उपस्थित होने के लिए यात्रा तथा दैनिक भत्ता ऐसे दर पर अदा किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए ।

(६) जलसंभर जलस्त्रोत समिति वर्ष के प्रत्येक तिमाही में एक और आपातस्थिति में जैसा और जब आवश्यक हो बैठक लेगी । जलसंभर जलस्त्रोत समिति की बैठक में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया और उससे अनुपूरक या उसके आनुषंगिक सभी मामलें ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाए । **तहसिलदार,** जलसंभर जलस्त्रोत समिति की बैठकों का संयोजक होगा :

परंतु, यदि अधिसूचित क्षेत्र के भीतर जब ग्यारह से कम गाँव होते हैं तब राज्य प्राधिकरण ऐसे जलसंभर जलस्त्रोत समिति के कार्य संबंधित **पंचायत** या शहरी स्थानीय निकायों को सौंपेगी ।

भूगर्भ जल के विद्यमान उपयोगकर्ताओं के लिए भूगर्भ जल प्रबंध ।

३०. (१) जलसंभर जलस्त्रोत समिति भूगर्भ जल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी की तकनीकी सहायता से जलसंभर या जलीय स्तर पर आधारित भूगर्भ जल उपयोग योजना तैयार करेगी और जिला प्राधिकारी उसे अधिसूचित करेगा। जैसा कि ऐसे रीत्या विहित किया जाए ।

(२) जलविज्ञान वर्ष में, वर्षा और भूगर्भ जलस्तर पर आधारित जलसंभर जलस्त्रोत समिति, प्रत्येक वर्ष जलसंभर या जलीय स्तर पर आधारित भूगर्भ जल उपयोग योजना अद्यतन करेगी और तद्नुसार, भूगर्भ जल निकालने का मॉनिटर करेगी और सार्वजनिक पेय जलस्त्रोत बनाए रखने के रक्षोपायभी करेगी । जलसंभर जलस्त्रोत समिति भूगर्भ जल के विनियमन के लिए उठाये जानेवाले कदमों की जिला प्राधिकारी को सिफारिश करेगी । क्षेत्र में भूगर्भ जलस्त्रोत की वृद्धि के लिए वह राज्य सरकार, **पंचायत, पंचायत समिति** या शहरी स्थानीय निकाय को उपायों की सिफारिश करेगी ।

(३) जलसंभर जलस्त्रोत समिति, एकीकृत जलसंभर विकास और प्रबंध योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के साथ भी जारी रखेगी ।

(४) जलसंभर जलस्त्रोत समिति, भूगर्भ जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए, विद्यमान भूगर्भ जल के उपयोगकर्ताओं और कूएँ के स्वामी को व्यक्तिगत उपायों के ऐसी रीत्या कार्यान्वयन का सुझाव भी देगी और प्रेरित करेगी, जैसा कि विहित किया जाये ।

(५) जलसंभर जलस्त्रोत समिति, जल बजट पर आधारित क्षेत्र के लिए फसल का पैटर्न और भूगर्भ जल उपयोग योजना पर आधारित विभिन्न इस्तेमाल जैसे कि घरेलू, कृषि, उद्योग या किसी अन्य उपयोग के लिए ऐसे रीत्या जैसा कि विहित किया जाए, विद्यमान कूओं से आवश्यक भूगर्भ जल निकालने के लिए योजना विनिर्दिष्ट करेगी ।

रासायनिक उर्वरक या कीटनाशी आदि के उपयोग पर प्रतिषेध या सीमित करना ।

३१. (१) जलसंभर जलस्त्रोत समिति, अपशिष्ट औद्योगिक निस्सार के निपटान गाढने या अन्तक्षेपण के विनियमित करने के लिए रासायनिक उर्वरक या कीटनाशी का उपयोग नियंत्रित करने और भूगर्भ जल की गुणवत्ता संरक्षित करने के लिए जिला प्राधिकारी को सिफारिश करेगी ।

(२) जिला प्राधिकारी, ऐसी सिफारिशों पर तथ्यों को अभिनिश्चित करने के बाद, संबंधित सरकारी प्राधिकरणों, **पंचायत, पंचायत समिति** या शहरी स्थानीय निकाय की सहायता से आवश्यक उपाय करेगी ।

अधिसूचित क्षेत्र में नवीन कूओं का संनिर्माण ।

३२. (१) कोई भी व्यक्ति, जलसंभर जलस्त्रोत समिति की पूर्वानुमति के बिना, अधिसूचित क्षेत्र में कोई कूआँ नहीं खोदेगा । ऐसा व्यक्ति ऐसे रीत्या और ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए जलसंभर जलस्त्रोत समिति को आवेदन करेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, जलसंभर जलस्त्रोत समिति उसे सिफारिश के लिए भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी को निर्दिष्ट करेगी और भूगर्भ जल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी की शिफारिश के आधार पर मंजूरी देने या अस्वीकृत करने का विनिश्चय करेगी ।

परन्तु, जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता तब तक ऐसी कोई मंजूरी अस्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(३) मंजूरी देने या अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय जलसंभर जलस्त्रोत समिति द्वारा आवेदन की प्राप्ति से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर, आवेदक को सूचित किया जायेगा ।

(४) कूआँ खोदने की अनुमति, आवेदक द्वारा समुचित आकार के कृत्रिम पुनर्भरण संरचना कें संनिर्माण के अध्यधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर होगी जैसा कि विहित किया जाए ।

समुदाय सहभाग को बढ़ावा देना ।

३३. जलसंभर जलस्त्रोत समिति, अधिसूचित क्षेत्र में, ऐसी रीत्या, जैसा कि विहित किया जाए भूगर्भ जलस्त्रोत का उचित और सुसंगत विकास, सुरक्षा, संरक्षण, विनियमन और प्रबंध के उद्देश्य से जिला प्राधिकारी के मार्गदर्शन के अनुसार समुदाय सहभागिता के लिए जिम्मेदार होगी । जलसंभर जलस्त्रोत समिति, भूगर्भ जल के सामुदायिक स्वामित्व की संकल्पना, छोटे तथा सीमांत किसानों के अधिकारों के संरक्षण की संकल्पना तथा बहुत ज्यादा भूगर्भ जल निकालने की रोकथाम के लिए जिम्मेदार होगी ।

जलसंभर जलस्त्रोत समिति के निर्णय और योजनाओं का कार्यान्वयन ।

३४. जलसंभर जलस्त्रोत समिति का निर्णय, जो विनियमनकारी स्वरूप का है, जिला प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा । जलसंभर जलस्त्रोत समिति, **पंचायत, पंचायत समिति** या शहरी स्थानीय निकायों या प्राधिकरणों के समन्वयन से जैसा कि विहित किया जाए ऐसे रीत्या, अपनी योजनाएँ कार्यान्वित करवा सकेगी । जलसंभर जलस्त्रोत समिति की योजनाओं के कार्यान्वयन या अपने निर्णय लागू करने के प्रयोजनार्थ **पंचायत, पंचायत समिति** या शहरी स्थानीय निकायों या प्राधिकरणों को धारा २८ की उप-धारा (१) के खंड (क) से (ज) के अधीन जिला प्राधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त होगीं ।

रेत खनन का विनियमन या प्रतिषेध ।

३५. किसी अन्य विधि में किसी भी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जलसंभर जलस्त्रोत समिति, विशेषज्ञ निकायों और भूगर्भ जल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी के परामर्श से, अधिसूचित क्षेत्र में ऐसे रीत्या, जैसा कि विहित किया जाए, रेत खनत विनियमित या प्रतिषिद्ध करने की जिला प्राधिकारी को सिफारिश करेगी ।

जलसंभर जलस्त्रोत समिति के वित्तीय स्त्रोत ।

३६. (१) ऐसे उपायों के कार्यन्वयन के लिए आवश्यक निधियाँ राज्य सरकार द्वारा जलसंभर जलस्त्रोत समिति को उपलब्ध कराई जायेगी ।

(२) जलसंभर जलस्त्रोत समिति, राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए दर पर भूगर्भ जल उपयोगकर्ता से आवेदन फीस प्रभारित और सेवा प्रभार संग्रहीत कर सकेगी और ऐसे रीत्या उपयोग कर सकेगी जैसा कि विहित किया जाए ।

जलसंभर जलस्त्रोत समिति को कार्य में पारदर्शिता ।

३७. जलसंभर जलस्त्रोत समिति, ऐसी रीत्या, अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगी जैसा कि विहित किया जाये और **ग्रामसभा** और ऐसे अन्य निकायों को, जैसा कि विहित किया जाए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

अध्याय छह

लेखा तथा लेखा परीक्षा

जलसंभर जलस्त्रोत समिति को अनुदान तथा अग्रिम ।

३८. राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किये जाने के बाद, भूगर्भजल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी को ऐसे अनुदान तथा अग्रिम अदा करेगी, जिसे वह जलसंभर जलस्त्रोत समिति को उपलब्ध करायेगा जैसा वह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पालन तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझें, तथा समस्त अनुदान तथा अग्रिम ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर दिये जायेंगे जैसा राज्य सरकार अवधारित करें ।

जलसंभर जलस्त्रोत समिति का बजट ।

३९. भूगर्भ जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय में, जैसा कि विहित किया जाये, जलसंभर जलस्त्रोत समिति की प्राक्कलित प्राप्तियाँ तथा व्यव को दर्शाते हूए, अगले वित्तिय वर्ष के लिए बजट बनायेगी और उसे सरकार को अग्रेषित करेगी ।

जलसंभर जलस्त्रोत समिति के लेखा ।

४०. (१) भूगर्भ जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी उचित लेखा तथा अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगी तथा महालेखाकार के परामर्श से ऐसे प्ररूप में लेखाओं के वार्षिक विवरण तैयार करेगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये ।

(२) जलसंभर जलस्त्रोत समिति के लेखा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तराल पर या भूगर्भजल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी के लेखा परिक्षण के समय, लेखा संपरिक्षित किये जायेंगे, जैसा कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये और ऐसी लेखा संपरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय जलसंभर जलस्त्रोत समिति द्वारा महालेखाकार को अदा किया जायेगा ।

अध्याय सात

भूगर्भजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी, उसकी शक्तीयाँ, कृत्य और कर्तव्य ।

मूल जलसंभर या जलस्तर की जाँच करना, रूप-रेखा बनाना और घोषणा करना ।

४१. भूगर्भजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य के मूल जलसंभर या जलस्तर की उसकी सीमाओं के साथ जाँच, रुपरेखा और घोषणा करेगी ।

प्रभावित क्षेत्र का अंकन ।

४२. भूगर्भ जल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी, अधिसूचित सार्वजनिक पेय जल स्त्रोत के प्रभावित क्षेत्र का अंकन प्राथमिक आधार पर कार्यान्वित करेगी ।

जलसंभर या जलस्तर अधारित भूगर्भ जल उपयोग योजना ।

४३. भूगर्भ जल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी, जलसंभर या जलस्तर आधारित भूगर्भ जल उपयोग योजना तैयार करने में जलसंभर जलस्त्रोत समिति और **पंचायत** को ऐसी रीत्या, जैसा कि विहित किया जाए, सहायता करेगी ।

एकीकृत जलसंभर विकास और प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता ।

४४. भूगर्भ जल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी, भूगर्भ जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एकीकृत जलसंभर विकास और प्रबंधन योजना तैयार करने में जिला जलसंभर प्रबंधन समिति की सहायता करेगी ।

तकनीकी सर्वेक्षण और सहायता कार्य ।

४५. (१) भूगर्भ जल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी, ऐसी रीत्या, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे आवश्यक भू-वैज्ञानिक अध्ययन और सहायता कार्य कार्यान्वित करेगी जैसे राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, जलसंभर जलस्त्रोत समिति, **पंचायत, पंचायत समिति** या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उसे सौंपे जायें ।

(२) भूगर्भ जल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी, इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे सौंपे गये कोई अन्य कृत्य और कर्तव्य कार्यान्वित करेगी ।

अन-अधिसूचित क्षेत्र मे **पंचायत, पंचायत समिति** और शहरी स्थानीय निकायों को परामर्श देने के लिए भूगर्भ जल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी ।

४६. भूगर्भ जल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी, अन-अधिसूचित क्षेत्र की सुरक्षित जलसंभर स्थिती संरक्षित करने के लिए विद्यमान कूएँ के कृत्रिम भूगर्भजल पुनर्भरण के निजी उपायों का मॉनिटर करने और के लिए प्रेरित करने, और किसी व्यक्ति या भूगर्भजल उपयोगकर्ता को अन-अधिसूचित क्षेत्र में साठ मीटर तक बोअर वेल या ट्यूब वेल खोदने की अनुमति देने के लिए उस क्षेत्र की **पंचायत, पंचायत समिति** और शहरी स्थानीय निकायों को तकनीकी परामर्श देगी :

परन्तु, इस प्रयोजन के लिए **पंचायत, पंचायत समिति** और शहरी स्थानीय निकाया उस क्षेत्र का जल लेखा और जल बजट तैयार करेगी और बनाए रखेगी, ऐसी रीत्या जैसा कि विहित किया जाए जलसंभर या जलस्तर आधारित भूगर्भजल पुनर्भरण की योजना बनाएगी और निष्पादित करेंगी और ऐसे बोअर वेल और ट्यूब वेल खोदने की मंजूरी के लिए आवेदनों का विनिश्चय करते समय वह भूगर्भजल उपयोग योजना और भूगर्भ जल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी के तकनीकी परामर्श को ध्यान में रखेगी :

परन्तु आगे यह कि, अन-अधिसूचित क्षेत्र में कूंओं की खुदाई के लिए, कोई मंजूरी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, समुचित आकार की कृत्रिम पुनर्भरण संरचना के शर्तों के अध्यधीन होगी, जैसा कि विहित किया जाए।

अध्याय आठ

विविध

आदेश की तामील ।

४७. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक आदेश ऐसी रीत्या तामील किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए ।

सरकार द्वारा निदेश ।

४८. (१) सरकार, राज्य प्राधिकारी को लोकहितवाली नीतियों के मामले में, ऐसे लिखित सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगी और राज्य प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने और उस पर कार्य करने के लिये बाध्य होगा ।

(२) यदि ऐसा कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि ऐसा निदेश लोकहितवाले नीति के मामले से संबंधित है या नहीं है तो उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

राज्य प्राधिकरण और जलसंभर जलस्त्रोत समिति के सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होंगे ।

सन १८६० का ४५।

४९. इस अधिनियम के उपबंधों या बनाए गये नियमों या तद्धीन जारी आदेश या अधिसूचना के अधीन या के अनुसरण में, कार्य करनेवाले राज्य प्राधिकरण जिला प्राधिकरण और जलसंभर जलस्त्रोत समिती का प्रत्येक सदस्य और ऐसे प्राधिकरण का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा ।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्य के लिए संरक्षण ।

५०. इस अधिनियम के उपबंधो या तद्धीन बनाए गए नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या करने के लिये आशयित किसी बात के लिए सरकार या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या जलसंभर जलस्त्रोत समिति या **पंचायत, पंचायत समिति** या शहरी स्थानीय निकायों या भूगर्भजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी ।

प्रतिकर दावे का वर्जन ।

५१. धारा २७ के उपबंधों के अध्यधीन, कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही के आधार पर उसके द्वारा उठायी गयी किसी हानि के लिये सरकार से किसी नुकसान या प्रतिकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

अपराध और शास्तियाँ ।

५२. जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधो या तद्धीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन करता है या अनुपालन करने में असमर्थ होता है या राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, जलसंभर जलस्त्रोत समिति, **पंचायत, पंचायत समिति** और शहरी स्थानीय निकाय, भूगर्भजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी और इस अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति को बाधा पहुँचता है तो दोषसिद्धि पर :—

(एक) प्रथम अपराध के लिए, दस हजार रुपयों तक के जुर्माने से ; और

(दो) पश्चात्वर्ती अपराध के लिये छह महीने तक के कारावास से या पच्चीस हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

कंपनी द्वारा किये गये अपराध ।

५३. (१) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो, वह प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध घटित होने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन का प्रभारी तथा जिम्मेदार था साथ ही कंपनी भी, अपराध की दोषी समझी जायेगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा तदनुसार दण्डित किये जाने की दायी होगी :

परन्तु, इस उप-धारा मे अन्तर्विष्ट कोई बात, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दण्ड का दायी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को होने से रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट कोई बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन, कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से या मौनानुकूलता से या ऐसे अपराध के प्रति कोई उपेक्षा बरतने के कारण हुआ है, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी ऐसे अपराध के लिये दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का तथा वे तद्नुसार दण्डित किये जाने के दायी होंगे ।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(एक) "कंपनी" का तात्पर्य, निगमित निकाय से है तथा इसमें फर्म, व्यतियों का संगम या व्यक्तियों का निकाय सम्मिलित होगा, चाहे वे निगमित हो या न हो ;

(दो) फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य, फर्म के भागीदार से है तथा व्यक्तियों का संगम या व्यक्तियों के निकाय के संबंध में, उसके कामकाज का नियंत्रण करनेवाले किसी सदस्य से है ।

अपराधों का प्रशमन ।

५४. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कार्यवाहियाँ संस्थित करने से पूर्व या के बाद, इस अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन का, जिला प्राधिकरण द्वारा ऐसे अपराध से प्रभारित किसी व्यक्ति से, ऐसे अपराध के प्रशमन के रूप में जिसके लिए वह ऐसे अपराध के दोषसिद्धि का दायी है धारा ५२ में विनिर्दिष्ट अधिकतम जुर्माने की रकम से अनधिक रकम प्राप्त करने पर प्रशमन किया जा सकेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन संयोजन के रूप में अपराध के प्रशमन पर, ऐसे अपराध के संबंध में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही की या जारी रखी नहीं जायेगी और यदि उस अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही पहले से ही संस्थित है तो वह समाप्त की जायेगी ।

अपराधों का संज्ञान और विचारण ।

५५. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराधों के लिए अभियोजन, जिला प्राधिकरण की समान्य या विशेष आदेश द्वारा सहमति द्वारा या सहमति के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा ।

(२) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

सन् १९७४ का २।

(३) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होंगे ।

अपीलें।

५६. (१) इस अधिनियम के अधीन जलसंभर जलस्त्रोत समिती, **पंचायत, पंचायत समिति** या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दिये गये निर्णय, बनाए गए आदेश, की गई कार्यवाही से व्यथित कोई व्यक्ति, कार्यवाही करने या निर्णय देने या उसे आदेश संसूचित करने के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर और ऐसी फीस की अदायगी पर, जैसा कि विहित किया जाए, जिला प्राधिकरण को ऐसी अपील कर सकेगा :

परन्तु, जिला प्राधिकरण, साठ दिनों की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् प्रस्तुत अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को पर्याप्त कारण के लिए समय पर अपील दाखिल करने से रोका गया था ।

(२) यदि व्यथित व्यक्ति का उप-धारा (१) के अधीन जिला प्राधिकरण के निर्णय से समाधान नहीं होता है तो वह, उसे निर्णय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर और ऐसी फीस की अदायगी पर, जैसा कि विहित किया जाए, जिला प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध राज्य प्राधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकेगा और राज्य प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा ।

(३) उप-धारा (१) या (२) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, यथासंभव शीघ्रता से अपील का निपटान करेगा ।

नियम बनाने की सरकार की शक्ति।

५७. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा और पूर्व-प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन नियम बना सकेगी ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रो में हो, और यदि, उस सत्र के जिसमें इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये, और उस प्रभाव का उनका विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं तो नियम **राजपत्र** में ऐसे विनिश्चिय के प्रकाशन के दिनांक से ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा, या यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; इसप्रकार का कोई ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं ड़ालेगा ।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

५८. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई प्रोदभूत होती है, तो सरकार जैसा अवसर आये, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, तो उसे कठिनाई के निराकारण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधानमंडळ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

सन १९९३ का महा. २८।

निरसन और व्यावृति।

५९. (१) महाराष्ट्र भूगर्भजल (पेयजल के प्रयोजनों के लिए विनियम) अधिनियम १९३, एतद्द्वारा निरनित किया जाता है ।

सन १९०४ का बम्बई १।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे निरसन के पूर्व उक्त अधिनियम के अधीन या के अनुसरण में कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही उसके संबंध में प्रभावी रहेगी और बम्बई साधारण खण्ड अधिनियम १९०४ की धारा ७ उक्त अधिनियम के निरसन के संबंध में लागू होगी ।

(यथार्थ अनुवाद),
स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2013.

THE MAHARASHTRA (THIRD SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० दिसम्बर २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2013.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2014.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २० दिसम्बर २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च २०१४ के इकतीसवें दिन समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१४ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि, विनियोग अधिनियम पारित करके उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१३ कहलाए।

राज्य की समेकित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के लिये, १ खरब, १६ अरब, ९५ करोड़, ५८ लाख, ७० हजार रुपये निकालना ।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में, विनिर्दिष्ट रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर एक खरब, सोलह अरब, पंचानवे करोड़ अट्ठावन लाख, सत्तर हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट कार्यों तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०१४ के मार्च के इकतीसवें दिन समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं और प्रयोजनों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक	कार्य तथा उद्देश्य	लेखा शीर्षक	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
			विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित	कुल
(१)	(२)	(३)		(४)	
			रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय			
		सामान्य प्रशासन विभाग			
ए-१	राज्यपाल और मंत्रि परिषद।	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक। २०१३,मंत्रि परिषद।	....	*१०,००,०००*	१०,००,०००
ए-२	निर्वाचन।	२०१५, निर्वाचन।	६,७१,००,०००	....	६,७१,००,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	३५,६३,४२,०००	....	३५,६३,४२,०००
ए-५	सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, आवास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २२५१, सचिवालय सामाजिक सेवाएँ।	५,२०,२०,०००	....	५,२०,२०,०००
ए-६	सूचना तथा प्रचार।	२२२०, सूचना तथा प्रचार।	१०,००,०००	....	१०,००,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग।	४७,६४,६२,०००	१०,००,०००	४७,७४,६२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	१७,०४,६७,०००	*१,००,००,०००*	१८,०४,६७,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क।	२०३९,राज्य उत्पादन शुल्क।	. .	१,१२,००,०००	. . . .	१,१२,००,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन। ३०५६, अन्तरराज्यीय जल परिवहन।	. .	७,५०,००,०२,०००	. . . .	७,५०,००,०२,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	. .	६२,९१,०००	. . . .	६२,९१,०००
बी-५	जेल।	२०५६, जेल।	. .	११,४३,४२,०००	. . . .	११,४३,४२,०००
			कुल—गृह विभाग।. .	७,८०,२३,०२,०००	१,००,००,०००	७,८१,२३,०२,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व। २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	७,९९,११,०००	. . . .	७,९९,११,०००

सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय–सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोक निर्माण कार्य।	. .	१५,००,०००	. . .	१५,००,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	१७,१०,००,००,०००	. . .	१७,१०,००,००,०००
सी-७	वन।	२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	. .	४५,००,००,०००	. . .	४५,००,००,०००
सी-८	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	. . .	६०,००,००,०००	६०,००,००,०००
		कुल–राजस्व तथा वन विभाग।	. .	१७,६३,१४,११,०००	६०,००,००,०००	१८,२३,१४,११,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग

डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१,कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	. .	६२,७५,०६,०००	. . . .	६२,७५,०६,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	. .	५०,०१,०००	. . . .	५०,०१,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास। . .	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	. .	९९,७७,८६,०००	. . . .	९९,७७,८६,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग। . .	२४०५, मत्स्य उद्योग।		६०,००,०००	८४,०००	६०,८४,०००
डी-७	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२७०२, लघु सिंचाई। ३४५१, सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ।	. .	२०,००,०००	. . . .	२०,००,०००
		कुल–कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग। . .		१,६३,८२,९३,०००	८४,०००	१,६३,८३,७७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग				
इ-२	सामान्य शिक्षा।	. . २२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	२८,८३,२३,०००	. . .	२८,८३,२४,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	. .	३१,३५,६१,०००	. . .	३१,३५,६१,०००
		कुल–विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	. .	६०,१८,८५,०००	. . .	६०,१८,८५,०००
		नगरविकास विभाग				
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	५१,२५,०००	. . . .	५१,२५,०००
		कुल–नगरविकास विभाग।	. .	५१,२५,०००	. . . .	५१,२५,०००
		वित्त विभाग				
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण । २०४०, विक्रय कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	३८,२१,००,०००	. . . .	३८,२१,००,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	. . २०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	. .	१७,४८,०१,०००	. . . .	१७,४८,०१,०००
		कुल–वित्त विभाग।	. .	५५,६९,०१,०००	. . . .	५५,६९,०१,०००

लोकनिर्माण कार्य विभाग

एच-३	आवास।	२२१६, आवास।	. .	१,००,००,००,०००	. . . .	१,००,००,००,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	१३,२७,५२,००,०००	. . . .	१३,२७,५२,००,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।		१,४२,७१,००,०००	. . . .	१,४२,७१,००,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	. .	१५,७०,२३,००,०००	. . . .	१५,७०,२३,००,०००

जलस्त्रोत विभाग

आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान ।	. .	१,०६,२७,४३,०००	. . . .	१,०६,२७,४३,०००
		कुल—जलस्त्रोत विभाग।	. .	१,०६,२७,४३,०००	. . . .	१,०६,२७,४३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		विधि तथा न्याय विभाग				
जे-१	न्याय प्रशासन।	. . २०१४, न्याय प्रशासन।	. .	१,२३,९०,००	४,६८,६६,०००	५,९२,५६,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय–सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५,सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	५,००,००,०००	. . . .	५,००,००,०००
		कुल–विधि तथा न्याय विभाग।	. .	६,२३,९०,०००	४,६८,६६,०००	१०,९२,५६,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	. .	४४,९६,०००	. . . .	४४,९६,०००
के-४	श्रम तथा नियोजन।	. . २२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .	४,८१,२४,०००	. . . .	४,८१,२४,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१,विद्युत। २८१०,ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।	. .	७,०४,९४,२८,०००	. . . .	७,०४,९४,२८,०००
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	. .	१६,४२,००,०००	. . . .	१६,४२,००,०००
के-८	सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ।	. . ३४५१, सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ।	. .	१,१०,००,०००	. . . .	१,१०,००,०००
		कुल–उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	७,२७,७२,४८,०००	. . . .	७,२७,७२,४८,०००

		ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग				
एल-२	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	५८,५०,००,०००	. . . .	५८,५०,००,०००
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २५५१, पहाड़ी क्षेत्र। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	१०,९२,८८,४४,०००	. . . .	१०,९२,८८,४४,०००
एल-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	२९,००,०००	. . . .	२९,००,०००
एल-५	स्थानिय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानिय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	५,१७,९६,९२,०००	. . . .	५,१७,९६,९२,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	. .	१६,६९,६४,३६,०००	. . . .	१६,६९,६४,३६,०००
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
एम-२	खाद्य।	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	. .	२८,८२,०००	. . . .	२८,८२,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	६,००,०००	. . . .	६,००,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	. .	३४,८२,०००	. . . .	३४,८२,०००
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	८,६१,१३,१०,०००	. . . .	८,६१,१३,१०,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	८,६१,१३,१०,०००	. . . .	८,६१,१३,१०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		योजना विभाग				
ओ-७	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय आर्थिक सेवाएँ ।	. .	१,२०,००,००,०००	. . .	१,२०,००,००,०००
ओ-१६	जिला योजना -ठाणे	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास। २२१७, नगरविकास। २२२०, सुचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानिय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,००००	. . .	१,००००

ओ-१७	जिला योजना-रायगड।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. . .	१,००००	. . .	१,००००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
ओ-१९	जिला योजना-सिंधुदुर्ग।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानिय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

ओ-२०	जिला योजना-पुणे।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानिय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. . .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
ओ-२१	जिला योजना - सातारा।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

ओ-२२	जिला योजना - सांगली।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२४	जिला योजना–कोल्हापूर।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांको का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

ओ-२५	जिला योजना–नासिक।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याको का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
ओ-२६	जिला योजना–धुलिया।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांको का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

ओ-२९	जिला योजना–नंदुरबार।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याको का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
ओ-३०	जिला योजना–औरंगाबाद।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याको का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

ओ-३२	जिला योजना–परभणी।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
ओ-३३	जिला योजना–नांदेड।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

ओ-३४ जिला योजना–बीड।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३५	जिला योजना–लातूर ।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

ओ-३६	जिला योजना–उस्मानाबाद।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांको का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३७	जिला योजना–हिंगोली ।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांको का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

ओ-३९	जिला योजना–वर्धा।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांको का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
ओ-४०	जिला योजना–भंडारा ।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांको का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

ओ-४३	जिला योजना–गोंदिया।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
ओ-४६	जिला योजना–यवतमाल।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

ओ-४७	जिला योजना–बुलढाणा।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल–योजना विभाग।	. .	१,२०,००,२२,०००	. . . .	१,२०,००,२२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		आवास विभाग				
क्यू-३	आवास।	२२१६, आवास । २२१७, नगरविकास । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	६३,३१,००,०००	. . .	६३,३१,००,०००
क्यू-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ ।	. .	१,५०,००,०००	. . .	१,५०,००,०००
		कुल–आवास विभाग।	. .	६४,८१,००,०००	. . . .	६४,८१,००,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२११, परिवार कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१,६९,५७,३९,०००	. . .	१,६९,५७,३९,०००
		कुल–लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	१,६९,५७,३९,०००	. . . .	१,६९,५७,३९,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधी विभाग				
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	. .	५,०६,७५,०००	. . .	५,०६,७५,०००
		कुल–चिकित्सा शिक्षा तथा औषधी विभाग।	. .	५,०६,७५,०००	. . . .	५,०६,७५,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२११, परिवार कल्याण । २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्यजीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन । २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३०५५, सड़क परिवहन।	. .	१,६८,८३,२३,०००	. . .	१,६८,८३,२३,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	. .	१,६८,८३,२३,०००	. . . .	१,६८,८३,२३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		पर्यावरण विभाग				
यू-४	परिस्थितिकी तथा पर्यावरण।	३४३५, परिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।	. .	१,७५,००,०००	. . .	१,७५,००,०००
		कुल—पर्यावरण विभाग।	. .	१,७५,००,०००	. . . .	१,७५,००,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-२	सहकारिता।	२२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २४२५, सहकारिता । २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग । २८५२, उद्योग । ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ ।	. .	१,१६,००,०६,०००	. . .	१,१६,००,०६,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	१,१६,००,०६,०००	. . . .	१,१६,००,०६,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	५६,६७,०००	५६,६७,०००
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	१९,२७,०९,०००	. . .	१९,२७,०९,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	४१,८२,८७,०००	. . .	४१,८२,८७,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति	२२०५, कला तथा संस्कृति। २२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .	८,९६,६३,०००	. . .	८,९६,६३,०००
डब्ल्यू-६	सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	. .	३०,००,०००	. . .	३०,००,०००
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।	. .	७०,३६,५९,०००	५६,६७,०००	७०,९३,२६,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण ।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण।	. .	३२,६७,९०,०००	. . .	३२,६७,९०,०००
एक्स-२	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ ।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल–महिला तथा बाल विकास विभाग।	. .	३२,६७,९१,०००	. . . .	३२,६७,९१,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	२३,५२,३९,०००	२३,५२,३९,०००
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	. .	१,००,०००	. . .	१,००,०००
		कुल–जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	. .	१,००,०००	२३,५२,३९,०००	२३,५३,३९,०००

रोजगार तथा स्व-रोजगार विभाग

जेड क-१	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन । २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	. .	२,८१,८६,०००	. . .	२,८१,८६,०००
		कुल–रोजगार तथा स्व-रोजगार विभाग।	. .	२,८१,८६,०००	. . . .	२,८१,८६,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	. .	२,७७,२०,०००	३,३६,०००	२,८०,५६,०००
		कुल–महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	. .	२,७७,२०,०००	३,३६,०००	२,८०,५६,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति।	. .	२०,००,०००	. . .	२०,००,०००
		कुल–पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	. .	२०,००,०००	. . . .	२०,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		अल्पसंख्यंक विकास विभाग				
जेड ड.-१	अल्पसंख्यक विकास।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २०५३, जिला प्रशासन २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	११,८७,८०,०००	. . .	११,८७,८०,०००
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग।	. .	११,८७,८०,०००	. . . .	११,८७,८०,०००
		कुल—क राजस्व लेखे पर व्यय।	. .	८५,७९,५८,८९,०००	८९,११,९२,०००	८६,६९,५०,८१,०००
		ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय				
		गृह विभाग				
बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५५, सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५,५७,००,०००	. . .	५,५७,००,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	५,५७,००,०००	. . . .	५,५७,००,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बडी तथा मध्यम संचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०१, कृषि कर्म के लिए कर्ज।	. .	११,९४,४९,०००	. . .	११,९४,४९,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	११,९४,४९,०००	. . . .	११,९४,४९,०००

नगर विकास विभाग

एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,१५,८०,७८,०००	. . .	३,१५,८०,७८,०००
		कुल—नगर विकास विभाग।	. .	३,१५,८०,७८,०००	. . . .	३,१५,८०,७८,०००

लोक निर्माण कार्य विभाग

एफ-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		१३,००,२६,१९,०००		१३,००,२६,१९,०००
एफ-८	लोकनिर्माण कार्य, प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडें वर्गों तथा अल्पसंख्यंको के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	७८,०३,८२,०००	३५,५१,०००	७८,३९,३३,०००
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,०००	. . . .	३,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	१३,७८,३०,०४,०००	३५,५१,०००	१३,७८,६५,५५,०००

जलस्त्रोत विभाग

आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	९,२०,२५,०००	. . . .	९,२०,२५,०००
		कुल—जलस्त्रोत विभाग।	. .	९,२०,२५,०००	. . . .	९,२०,२५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		विधि तथा न्याय विभाग				
जे-४	लोकनिर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. . . .	१,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	१,०००	. . . .	१,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५,७७,५६,१९,०००	. . . .	५,७७,५६,१९,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रमविकास।	. .	५,७७,५६,१९,०००	. . . .	५,७७,५६,१९,०००
		ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग				
एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१६, आवास के लिए कर्ज।	. .	४,७५,००,०१,०००	. . . .	४,७५,००,०१,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग।	. .	४,७५,००,०१,०००	. . . .	४,७५,००,०१,०००
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
एम-४	खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पूंजीगत परिव्यय।	. .	६०,००,००,०००	. . . .	६०,००,००,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	. .	६०,००,००,०००	. . . .	६०,००,००,०००
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गा तथा अल्पसंख्यंको के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यंको के कल्याण के लिए कर्ज ।	. .	५०,००,००,०००	. . . .	५०,००,००,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	५०,००,००,०००	. . . .	५०,००,००,०००

योजना विभाग

ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५०,००,००,०००	. . . .	५०,००,००,०००
ओ-१४	जिला योजना—मुंबई शहर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, वाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	२,५०,०१,०००	. . . .	२,५०,०१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१५	जिला योजना—मुंबई उपनगर ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

ओ-१८	जिला योजना-रत्नागिरी।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओ पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२३	जिला योजना-सोलापूर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओ पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

ओ-२७	जिला योजना- जलगांव।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२८	जिला योजना- अहमदनगर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

ओ-३१	जिला योजना- जालना।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओ पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३८	जिला योजना-नागपूर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओ पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

ओ-४१	जिला योजना- चंद्रपूर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४२	जिला योजना-गड़चिरोली ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओ पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

ओ-४४	जिला योजना- अमरावती।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४५	जिला योजना- अकोला ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओ पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००

ओ-४८ जिला योजना-वासिम।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओ पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१,०००	. . . .	१,०००
	कुल—योजना विभाग	. .	५२,५०,१३,०००	. . . .	५२,५०,१३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२०,००,००,०००	. . . .	२०,००,००,०००
		कुल–चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	. .	२०,००,००,०००	. . . .	२०,००,००,०००
		जनजाति विकास विभाग				
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यांको के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिचय । ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४९,००,०५,०००	. . . .	४९,००,०५,०००
टी-७	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना के लिए कर्ज।	६२१६, आवास के लिए कर्ज। ६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो. तथा अल्पसंख्यांको के कल्याण के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।	. .	१,३५,००,०००	. . . .	१,३५,००,०००
		कुल–जनजाति विकास विभाग	. .	५०,३५,०५,०००	. . . .	५०,३५,०५,०००

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४४३५, अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	६,८७,४०,०००	. . . .	६,८७,४०,०००
वी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	६२१६, आवास के कर्ज। ६४२५, सहकारिता के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	८,१२,६०,०००	. . . .	८,१२,६०,०००
		कुल–सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	१५,००,००,०००	. . . .	१५,००,००,०००

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

डब्ल्यू-८	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,७०,००,०००	. . . .	३,७०,००,०००
		कुल–उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	. .	३,७०,००,०००	. . . .	३,७०,००,०००

महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय

जेड ग-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारीयों आदि के लिए कर्ज।	. .	७८,४३,०००	. . . .	७८,४३,०००
		कुल–महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय	. .	७८,४३,०००	. . . .	७८,४३,०००
		कुल–ख-पूंजी लेखे पर व्यय	. .	३०,२५,७२,३८,०००	३५,५१,०००	३०,२६,०७,८९,०००
		कुलयोग	. .	१,१६,०५,३१,२७,०००	९०,२७,४३,०००	१,१६,९५,५८,७०,०००

(यथार्थ अनुवाद)

ललिता शि. देठे,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य.

MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2013.

THE MAHARASHTRA APPROPRIATION (EXCESS EXPENDITURE) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० दिसम्बर २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2013.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE AUTHORISATION OF APPROPRIATION OF MONEYS OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE TO MEET THE AMOUNTS SPENT ON CERTAIN SERVICES DURING THE FINANCIAL YEAR ENDED ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2007, IN EXCESS OF THE AMOUNT'S GRANTED FOR THOSE SERVICES AND FOR THAT YEAR.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २० दिसम्बर २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य की संचित निधि में से इकतीस मार्च, २००७ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकमों की पूर्ति हेतु धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के उपबन्धार्थ अधिनियम।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि, उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, इकतीस मार्च २००७ को समाप्त हुए वित्तिय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकमों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विनियोग अधिनियम को पारित करने का उपबंध करना आवश्यक है; इसलिए, भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र विनियोग (अधिक व्यय) अधिनियम, २०१३ कहलाए ।

राज्य की संचित निधि में से वर्ष २००६-२००७ के लिए कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति के लिए ७ अरब, २१ करोड़, ८२ लाख, ३७ हजार, ७७४ रुपये देना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकम, जो उसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकम, जो कुल मिलाकर सात अरब, इक्कीस करोंड़, बयासी लाख, सैंतीस हजार, सातसौ चौहत्तर रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट विविध कार्यों और उद्देश्यों के बारे में २००७ के मार्च के इकतीसवें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए व्ययन हेतु उस वित्तिय वर्षके लिए उन कार्यों और उद्देश्यों के लिए, अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकम की पूर्ति के लिए अदा की तथा लगायी गयी समझी जाएगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम के अधीन राज्य की संचित निधि और उसमें से अदा की जाने और लगायी जाने के लिए प्राधिकृत समझी जानेवाली रकमों की अनुसूची में अभिव्यक्त कार्यों तथा उद्देश्यों के लिए, इकतीस मार्च २००७ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में विनियोग किया गया समझा जाएगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
			विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधी पर प्रभारित (४)	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय			
		गृह विभाग			
बी-५	जेल।	२०५६, जेल।	....	१,०८,७५६	१,०८,७५६
		कुल-गृह विभाग।	....	१,०८,७५६	१,०८,७५६
		राजस्व तथा वन विभाग			
सी-३	ब्याज अदायगियाँ ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। २२१७, नगरविकास। २२२५,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	....	२,५५,३२९	२,५५,३२९
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३५,सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०,अन्य सामाजिक सेवाएँ।	४,६५,९६,३६०	....	४,६५,९६,३६०
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२,५१,५२,०३,५२६	....	२,५१,५२,०३,५२६
सी-७	वन।	२४०६,वन तथा वन्य जीवन। २४१५,कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	....	८,३६,८०४	८,३६,८०४
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	२,५६,१७,९९,८८६	१०,९२,१३३	२,५६,२८,९२,०१९

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग				
डी-१	ब्याज अदायगियाँ । . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ ।	. .	. . . .	१,७८,२४,८७६	१,७८,२४,८७६
	कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।		. .	. . . .	१,७८,२४,८७६	१,७८,२४,८७६
		नगर विकास विभाग				
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ । ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	९३,७१,५५२	. . . .	९३,७१,५५२
		कुल—नगर विकास विभाग।	. .	९३,७१,५५२	. . . .	९३,७१,५५२
		लोकनिर्माण कार्य विभाग				
एच-१	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . . .	३७४	३७४
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	७३,८२,७३,४२४	. . . .	७३,८२,७३,४२४
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।		. . . .	१,३५,८१८	१,३५,८१८
		कुल–लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	. .	७३,८२,७३,४२४	१,३६,१९२	७३,८४,०९,६१६

		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।	. .	२,८३,९३,५१,९६६	. . .	२,८३,९३,५१,९६६
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	२,८३,९३,५१,९६६	. . .	२,८३,९३,५१,९६६
		ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग				
एल-१	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . . .	३९,११,८९,४२६	३९,११,८९,४२६
		कुल—ग्राम विकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	. .	. . . .	३९,११,८९,४२६	३९,११,८९,४२६
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
		सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	. . . .	२८,०२३	२८,०२३
		कुल–सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	. . . .	२८,०२३	२८,०२३
		आवास विभाग				
क्यु-१	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।		. . .	७,६७,८०,१९९	७,६७,८०,१९९
		कुल— आवास विभाग।	. .	. . .	७,६७,८०,१९९	७,६७,८०,१९९
		जनजाति विकास विभाग				
टी-१	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	. .	. . . .	१३,२७,५४८	१३,२७,५४८

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
टी-२	सहकारिता।	२४२५, सहकारिता।	३,५२,११,८५५	....	३,५२,११,८५५
टी-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२८,४११	....	२८,४११
		कुल– जनजाति विकास विभाग।	३,५२,४०,२६६	१३,२७,५४८	३,६५,६७,८१४
		पर्यावरण विभाग			
यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	....	५३,२४,४५९	५३,२४,४५९
		कुल– पर्यावरण विभाग।	....	५३,२४,४५९	५३,२४,४५९
		रोजगार तथा स्व-रोजगार विभाग			
जेड-क-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	५९,२४२	....	५९,२४२
		कुल– रोजगार तथा स्व-रोजगार विभाग।	५९,२४२	....	५९,२४२
		कुल–क-राजस्व लेखे पर व्यय।	६,१८,४०,९६,३३६	४९,३८,११,६१२	६,६७,७९,०७,९४८
		ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय			
		गृह विभाग			
बी-१०	आवास के लिए कर्ज।	६२१६, आवास के लिए कर्ज। ७६१०, सरकरी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	१,४२,९७,७७१	...	१,४२,९७,७७१
		कुल—गृह विभाग	१,४२,९७,७७१	...	१,४२,९७,७७१

		राजस्व तथा वन विभाग			
सी-१०	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, कृषी अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०१, कृषी कर्म के लिए कर्ज।	. .	. . . . ७५,०००	७५,०००
		कुल–राजस्व तथा वन विभाग।	. .	. . . . ७५,०००	७५,०००
		कृषी, पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास तथा मत्स्यउद्योग विभाग			
डी-१४	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		५,६०,००० . . .	५,६०,०००
		कुल–कृषी, पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास तथा मत्स्यउद्योग विभाग।	. .	५,६०,००० . . .	५,६०,०००
		लोक निर्माण कार्य विभाग			
एच-७	सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		५२,४७,२०,४३९ . . .	५२,४७,२०,४३९
		कुल–लोक निर्माण कार्य विभाग।	. .	५२,४७,२०,४३९ . . .	५२,४७,२०,४३९

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		जनजाति विकास विभाग				
टी-८	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना के लिए कर्ज।	६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	२,४३,६४२	. . .	२,४३,६४२
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	. .	२,४३,६४२	. . .	२,४३,६४२
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग				
वाय-७	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१५, जल अपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए कर्ज।	. .	. . . .	४,३२,९७४	४,३२,९७४
		कुल—जल अपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	. .	. . . .	४,३२,९७४	४,३२,९७४
		कुल—ख-पूंजी लेखे पर व्यय।	. .	५३,९८,२१,८५२	५,०७,९७४	५४,०३,२९,८२६
		कुलयोग		६,७२,३९,१८,१८८	४९,४३,१९,५८६	७,२१,८२ ,३७,७७४

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती ल. शि. देठे,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2013.

THE MAHARASHTRA APPROPRIATION (SECOND EXCESS EXPENDITURE) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० दिसम्बर, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2013.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE AUTHORISATION OF APPROPRIATION OF MONEYS OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE TO MEET THE AMOUNTS SPENT ON CERTAIN SERVICES DURING THE FINANCIAL YEAR ENDED ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2008, IN EXCESS OF THE AMOUNTS GRANTED FOR THOSE SERVICES AND FOR THAT YEAR.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २० दिसम्बर २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य की संचित निधि में से इकतीस मार्च २००८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकमों की पूर्ति हेतु धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के उपबन्ध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, इकतीस मार्च २००८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकमों की पूर्ति करने हेतु राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विनियोग अधिनियम को पारित करने का उपबंध करना आवश्यक है; इसलिए, भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र विनियोग (द्वितीय अधिक व्यय) अधिनियम, २०१३ कहलाए ।

राज्य की संचित निधि में से वर्ष २००७-२००८ के लिए कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए ४ अरब, ६८ करोड़, ६० लाख, २५ हजार, १२३ रुपये देना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकम, जो उसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकम, जो कुल मिलाकर चार अरब, अड़सठ करोंड़, साठ लाख, पच्चीस हजार, एक सौ तेईस रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट कार्यों और उद्देश्यों के बारे में ३१ मार्च २००८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए व्ययन हेतु उस वित्तीय वर्ष के लिए उन कार्यों और उद्देश्यों के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक व्ययित रकम की पूर्ति करने के लिए अदा करने तथा लगाने के लिए प्राधिकृत की गयी समझी जाएगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम के अधीन राज्य की संचित निधि और उसमें से अदा की जाने और लगायी जाने के लिए प्राधिकृत समझी जानेवाली रकमों की अनुसूची में अभिव्यक्त कार्यों तथा उद्देश्यों के लिए इकतीस मार्च २००८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में विनियोग किया गया समझा जाएगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
			विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधी पर प्रभारित (४)	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय			
		राजस्व तथा वन विभाग			
सी-३	ब्याज अदायगियाँ ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। . .	. .	१,२६,५३५	१,२६,५३५
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगर विकास २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। . .	६,२०,७९,२९७	४,९१,०७८	६,२५,७०,३७५
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। . .	४४,५६,११,१६०	. . . .	४४,५६,११,१६०
सी-७	वन।	२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	. . . .	८०,३८६	८०,३८६
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग। . .	५०,७६,९०,४५७	६,९७,९९९	५०,८३,८८,४५६

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		कृषि, पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास तथा मत्स्यउद्योग विभाग				
डी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	६,७३,४०१	. . . .	६,७३,४०१
डी-४	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।		. . . .	८६,६५९	८६,६५९
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास तथा मत्स्यउद्योग विभाग।	. .	६,७३,४०१	८६,६५९	७,६०,०६०
		नगरविकास विभाग				
एफ-२	नगरविकास और अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	२,१०,४५,९४,१३२	. . . .	२,१०,४५,९४,१३२
		कुल—नगरविकास विभाग।	. .	२,१०,४५,९४,१३२	. . . .	२,१०,४५,९४,१३२
		लोकनिर्माण कार्य विभाग				
एच-३	आवास।	२२१६, आवास।	. .	४५,८४,४०,५४७	. . . .	४५,८४,४०,५४७
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।		. . . .	३,९१,५३,८२१	३,९१,५३,८२१
		कुल–लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	. .	४५,८४,४०,५४७	३,९१,५३,८२१	४९,७५,९४,३६८

ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग

एल-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. . . .	४४,३७,५०,९२२	४४,३७,५०,९२२
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन।	. . . .	३,७८,१५८	३,७८,१५८
		कुल—ग्राम विकास तथा जलसंरक्षण विभाग। . .	. . . .	४४,४१,२९,०८०	४४,४१,२९,०८०

आवास विभाग

क्यु-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. . . .	८,०७,५२,१९४	८,०७,५२,१९४
क्यु-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	१,३६,१९५	. . . .	१,३६,१९५
		कुल—आवास विभाग। . .	१,३६,१९५	८,०७,५२,१९४	८,०८,८८,३८९

जनजाति विकास विभाग

टी-२	सहकारिता।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण। २४२५, सहकारिता। . .	२,०७,७४,३५६	. . . .	२,०७,७४,३५६
		कुल— जनजाति विकास विभाग। . .	२,०७,७४,३५६	. . . .	२,०७,७४,३५६

पर्यावरण विभाग

यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. . . .	५८,५०,८३६	५८,५०,८३६
यू-३	सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	३७,५०७	. . . .	३७,५०७
		कुल— पर्यावरण विभाग। . .	३७,५०७	५८,५०,८३६	५८,८८,३४३

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग				
वाय-४	लघु सिंचाई।	२७०२, लघु सिंचाई।	. .	४४,०६,२५३	. . . .	४४,०६,२५३
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	. .	४४,०६,२५३	. . . .	४४,०६,२५३
		कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।	. .	३,०९,६७,५२,८४८	५७,०६,७०,५८९	३,६६,७४,२३,४३७
		ख-पूंजी लेखे पर व्यय				
		लोक निर्माण कार्य विभाग				
एच-११	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज।		७,६८६	. . .	७,६८६
		कुल—लोक निर्माण कार्य विभाग।	. .	७,६८६	. . .	७,६८६
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-११-क	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	. .	. . . .	१,०१,८५,९४,०००	१,०१,८५,९४,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	. . . .	१,०१,८५,९४,०००	१,०१,८५,९४,०००
		कुल—ख-पूंजी लेखे पर व्यय।	. .	७,६८६	१,०१,८५,९४,०००	१,०१,८६,०१,६८६
		कुलयोग।	. .	३,०९,६७,६०,५३४	१,५८,९२,६४,५८९	४,६८,६०,२५,१२३

(यथार्थ अनुवाद),

ललिता. शि. देठे,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2013.

THE MAHARASHTRA PREVENTION AND ERADICATION OF HUMAN SACRIFICE AND OTHER INHUMAN, EVIL AND **AGHORI** PRACTICES AND BLACK MAGIC ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० दिसम्बर २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2013.

AN ACT TO BRING SOCIAL AWAKENING AND AWARENESS IN THE SOCIETY AND TO CREATE A HEALTHY AND SAFE SOCIAL ENVIRONMENT WITH A VIEW TO PROTECT THE COMMON PEOPLE IN THE SOCIETY AGAINST THE EVIL AND SINISTER PRACTICES THRIVING ON IGNORANCE, AND TO COMBAT AND ERADICATE HUMAN SACRIFICE AND OTHER INHUMAN, EVIL, SINISTER AND AGHORI PRACTICES PROPAGATED IN THE NAME OF SO CALLED SUPERNATURAL OR MAGICAL POWERS OR EVIL SPIRITS COMMONLY KNOWN AS BLACK MAGIC BY CONMEN WITH SINISTER MOTIVE OF EXPLOITING THE COMMON PEOPLE IN THE SOCIETY AND THEREBY DESTROYING THE VERY SOCIAL FIBRE OF THE SOCIETY; AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३०, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २० दिसम्बर २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

समाज में सामाजिक जागरुकता और बोध लाने के लिए और अज्ञानतावश और अहितकारी प्रथाओं से समाज की आम जनता को संरक्षित करने की दृष्टि से, स्वस्थ और सुरक्षित सामाजिक वातावरण बनाने के लिए और भोंदू लोगों द्वारा समाज की सामान्य जनता का शोषण करने और उसके द्वारा समाज की सामाजिक जडों को नष्ट करने के अनिष्टकारी उद्देश्य से या अलौकिक या सामान्यतः काला जादू के रूप में जानी जानेवाली चमत्कारिक शक्तियाँ या शैतानी ताकतों के प्रचार पर नरबलि तथा अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी, अहितकारी और अघोरी प्रथाओं को नियन्त्रित करने और उनका उन्मूलन करने और तत्संबन्धी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि नरबलि तथा अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी, अहितकारी और **अघोरी** प्रथाओं तथा काला जादू के इस्तेमाल और दुष्टात्माओं में अंधविश्वास के प्रयोग के कारण समाज की आम जनता का शोषण होने के कई मामले लगातार प्रकाश में आ रहे है ;

और क्योंकि इन परिस्थितियों में सरकार के लिए, यह अत्यंत जरूरी हो गया है कि इन अहितकारी प्रथाओं, रीति और रिवाजों और काले जादू में विश्वास और ऐसी ही अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी, अहितकारी और अघोरी प्रथाओं ऐसे दुष्प्रभाव और प्रसार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने तथा उचित और कडे सामाजिक और विधिक उपाय करने तथा सामान्य जनता को काला जादू करनेवाले और भोंदू लोगों के अनिष्टकारी चंगुल में फसने से बचाने के लिए, अलौकिक उपचार की शक्ति होने की तथा समाज विरोधी गतिविधियाँ सामान्य लोगों की सामाजिक जडों और प्रामाणिक और वैज्ञानिक चिकित्सा इलाज और उपचार में विश्वास को गंभीर रूप से क्षति पहुँचा रही थीं और अज्ञानता के कारण उन्हें ऐसे भोंदू लोगों द्वारा और काला जादू करनेवालों का सहारा लेने हेतु प्रेरित करती हैं;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा था;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हे इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए तुरंत विधि बनाने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; और इसलिये, महाराष्ट्र नरबली तथा अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी और **अघोरी** प्रथाओं और काला जादू की रोकथाम तथा उन्मूलन अध्यादेश, २०१३, २६ अगस्त २०१३ को प्रख्यापित हुआ था; सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. १४।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिए भारत गणराज्य के चौसष्टवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र नरबलि तथा अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी और **अघोरी** प्रथाओं और काला जादू की रोकथाम तथा उन्मूलन अधिनियम, २०१३ कहलाये।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह २६ अगस्त २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ।

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " संहिता " का तात्पर्य, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ से है ; सन् १९७४ का २।

(ख) " नरबलि तथा अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी और **अघोरी** प्रथाओं और काला जादू करने" का तात्पर्य, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में उल्लिखित या उपवर्णित किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं किये गये या किसी अन्य व्यक्ति के जरिए या के उकसाने पर कराए गए किसी कार्य से है;

(ग) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(घ) " प्रचार " का तात्पर्य, नरबलि तथा अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी और **अघोरी** प्रथाओं और काला जादू करने से संबंधित या के संबन्ध में विज्ञापन, साहित्य, लेख या किताब जारी करने या प्रकाशित करने से है और इसमें नरबलि तथा अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी और **अघोरी** प्रथाओं और काला जादू करने संबंधि किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद, अवप्रेरणा, सहभागिता या सहकारिता शामिल होगी;

(ड़) " नियमों " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;

(२) इसमें उपयोग में लाये गये किन्तु परिभाषित न किये गये शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा औषधी और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, १९५४, और संहिता में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किया गया है। सन् १९५४ का २१।

नरबलि तथा अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी और **अघोरी** प्रथाओं, और काला जादू की रोकथाम और उन्मूलन।

३. (१) कोई भी व्यक्ति, या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के जरिये नरबलि तथा अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी और **अघोरी** प्रथाओं तथा इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में उल्लेखित या वर्णित नरबलि तथा अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी और **अघोरी** प्रथाओं को प्रोत्साहित, का प्रचार या व्यवहार में नहीं लायेगा या प्रोत्साहित, प्रचार या व्यवहार नहीं करवायेगा।

(२) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के ज़रिये नरबलि तथा अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी तथा **अघोरी** प्रथाओं और काला जादू का कोई कार्य है और इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया नरबलि तथा अन्य अमानवीय अनिष्टकारी तथा **अघोरी** प्रथाओं और काला जादू का कोई विज्ञापन, व्यवहार, प्रचार या प्रोत्साहन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपराध किया हुआ माना जायेगा, और ऐसे अपराध के दोषी व्यक्ति को दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जो छह महिनों से कम नहीं होगा किन्तु जो सात वर्षों तक हो सकता है और ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है दण्डित किया जायेगा।

(३) जो कोई भी, इस अधिनियम के उप-धारा (२) के अधीन दण्डनीय कोई कृत्य या अपराध के लिए दुष्प्रेरित करता है या करने का प्रयास करता है उसने वह, अपराध किया हुआ माना जायेगा और, दोषसिद्धि पर, उप-धारा (२) में ऐसे अपराध के लिए उसी दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

(४) उप-धारा (२) के अधीन के दण्डनीय अपराध, संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

अपराधों के विचारण की अधिकारिता।

४. महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से निम्नस्तर का कोई न्यायालय, धारा ३ के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का, विचारण नहीं करेगा।

सतर्कता अधिकारी।

५. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, तथा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, किसी एक या अधिक पुलिस थानों के लिए, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक या अधिक पुलिस अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी जो सतर्कता अधिकारी के रूप में जाना जायेगा:

परन्तु, ऐसा अधिकारी, पुलिस निरीक्षक की श्रेणी से निम्नस्तर का नहीं होगा।

(२) सतर्कता अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह,–

(एक) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन या अतिक्रमण का अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में पता लगाये और रोकथाम करे, और अपनी अधिकारिता के अंतर्गत क्षेत्र के समीपवर्ती पुलिस थाने में, ऐसे मामलों की रिपोर्ट करे; और किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दाखिल करने पर उसपर सम्यक् तथा तत्काल कार्यवाही की सुनिश्चिति करें तथा संबंधित पुलिस थाने को आवश्यक परामर्श, मार्गदर्शन तथा मदद करें;

(दो) इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करनेवाले व्यक्तियों के कारगर अभियोजन के लिए, साक्ष्य इकठ्ठा करे; और जहाँ ऐसा उल्लंघन हुआ है या हो रहा है, उस क्षेत्र के पुलिस थाने में, उसकी रिपोर्ट करें;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त जारी सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा, समय-समय पर, उसे समनुदेशित किया जाये ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करें।

(३) जो कोई व्यक्ति, उप-धारा (१) के अधीन नियुक्त किये गये सतर्कता अधिकारी के पदीय कर्तव्यों या कार्य के निर्वहन में बाधा डालता है, दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन माह तक हो सकता हैं या ऐसे जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

सन् १८६० का ४५।

(४) सतर्कता अधिकारी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझा जायेगा।

प्रवेश, तलाशी आदि की शक्तियाँ।

६. (१) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर इस निमित्त जारी सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन, सतर्कता अधिकारी, अपनी अधिकारितावाले क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के सहयोग से,—

(एक) सभी युक्तियुक्त समयों पर, ऐसे सहायक के साथ, यदि कोई हो, जैसा कि वह आवश्यक समझे ऐसे किसी स्थान में जहाँ उसे ऐसा विश्वास करने का कारण है, इस अधिनियम के अधीन अपराध घटित हुआ है या हो रहा है, प्रवेश करेगा और तलाशी लेगा;

(दो) किसी सामग्री, उपकरण या विज्ञापन का अभिग्रहण करेगा जिसका उसे विश्वास करने का कारण है कि उसका उपयोग इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कार्य या बात के लिये है या किया गया है या किया जा रहा है;

(तीन) खण्ड (एक) में उल्लिखित किसी स्थान में पाये गये किसी अभिलेख, दस्तावेज या भौतिक पदार्थ का परीक्षण करेगा और यदि उसे विश्वास करने का कारण है कि उसे इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध की साक्ष्य जुटाने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है तो उसे समपहृत करेगा।

(२) संहिता के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण के लिए इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे संहिता कि धारा ९४ के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते है।

(३) जहाँ कोई व्यक्ति, उप-धारा (१) के खण्ड (दो) या (तीन) के अधीन कोई अभिग्रहण करता है तो वह, शीघ्र ही, मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और उसकी अभिरक्षा के सबन्ध में उनके आदेश लेगा।

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा १५९ और १६० के उपबन्धों की प्रयुक्ति।

७. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, की धारा १५९ और १६० के उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन सतर्कता अधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्वक कृत कार्य के लिए इस प्रकार लागू होंगे, मानों कि सतर्कता अधिकारी उस अधिनियम के अर्थान्तर्गत पुलिस अधिकारी है। सन् १९५१ का बम्बई २२।

संहिता के उपबन्धों की प्रयुक्ति।

८. संहिता के उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन अपराधों की जाँच और परीक्षण को लागू होंगे।

यह अधिनियम किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा और उनका अल्पीकरण करनेवाला नहीं होगा।

९. इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे।

दोषसिद्धि के तथ्य का प्रकाशन।

१०. (१) जहाँ, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये कोई व्यक्ति दोषसिद्ध पाया जाता है तो, ऐसे अपराधी को सिद्धदोष ठहराये जानेवाले न्यायालय के लिए यह सक्षम होगा कि ऐसे व्यक्ति का नाम और निवास का स्थान इस तथ्य के साथ कि ऐसा अपराधी इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषसिद्ध था और ऐसी अन्य विशिष्टियों जैसा कि न्यायालय प्रकाशित करने की अनुमति देने के लिए उचित और समुचित समझने के साथ पुलिस द्वारा उस स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाएगा, जहाँ ऐसा अपराध घटित हुआ था।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तब तक ऐसा कोई प्रकाशन नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई अपील, यदि कोई हो, का अंतिम निपटान नहीं हो जाता है।

नियम।

११. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के बाद, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सक्षम, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, चाहे एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्राणिक सत्रों में हो रखा जायेगा, और यदि उस सत्र के, जिसमें, उसे इस प्रकार रखा गाय है या सद्य अनुवर्ती सत्र या सत्रों के अवसान से पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हैं, या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाए और उस प्रभाव का अपना विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते है, तो नियम, ऐसे विनिश्चय के **राजपत्र** में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई या किए जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं ड़ालेगा।

व्यावृत्ति।

१२. (१) संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम की कोई भी बात निम्न के संबंध में लागू नहीं होगी अर्थात्:–

(१) किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थलों में ली जानेवाली **प्रदक्षिणा, यात्रा, परिक्रमा उपासना साथ ही वारकरी पंथों की वारियाँ** और अन्य **वारियाँ।**

(२) **हरिपाठ कीर्तन, प्रवचन, भजन,** प्राचिन शिक्षा और परंपरागत और कलाओं का अध्ययन, आचरण, प्रचार, उसका प्रसार।

(३) दिवंगत संतो के चमत्कार बताना, प्रसार, प्रचार और साहित्य वितरित करना और शारिरिक चोंट या वित्तीय हानि न करनेवाले धार्मिक धर्मोपदेशकों के चमत्कारों के बारे में साहित्य का प्रचार, प्रसार और वितरण करना।

(४) निवासस्थान, मंदिर, दर्गा, गुरुद्वारा, पॅगोडा, चर्च या अन्य धार्मिक स्थानों में शारीरिक चोंट या वित्तीय हानि न होनेवाली प्रार्थना, **उपासना** और सभी धार्मिक कृत्य या अनुष्ठान का प्रदर्शन करना।

(५) सभी धार्मिक उत्सव, त्यौहार, प्रार्थना, शोभायात्रा और उससे संबंधित किसी अन्य कृत्य, दैवी आत्मा शरीर में आना, **कडकलक्ष्मी,** व्रतवैकल्य, उपवास, नवस बोलना, मन्नत मांगना, मोहरम शोभायात्रा निकालना और अन्य धार्मिक कृत्य करना।

(६) धार्मिकविधि के अनुसार बच्चों के कान तथा नाक छेदना, जैनों द्वारा किये जानेवाले केशलोचन जैसे धार्मिक विधि करना।

(७) **वास्तुशास्त्र** साथही **जोशी-ज्योतिषी,** नंदी बैलवाले ज्योतिषी और अन्य ज्योतिषी द्वारा सलाह और भूजलस्त्रोत संबंधी सलाह देना।

(८) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित उपर्युक्त उल्लिखित को छोडकर किसी पारंपारिक धार्मिक विधि और कृत्य करना।

(२) उप-धारा (१) की प्रविष्टि (८) के अनुसरण में, जारी प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष यथा संभव शीघ्र रखी जायेगी।

सन २०१३ का महा. अध्यादेश क्र. १४ का निरसन और व्यावृत्ति।

(१३) (१) महाराष्ट्र नरबलि तथा अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी और अघोरी प्रथाओं और काला जादू की रोकथाम तथा उन्मूलन अध्यादेश, २०१३, एतदद्वारा, निरसित किया जाता है। सन २०१३ का महा. अध्यादेश क्र. १४।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन कृत कोई बात या कि गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम के तत्स्थानी, उपबंधो के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

अनुसूची

[धारा २ (१) (ख) देखिए]

(१) शरीर से भूत उतारने के बहाने, किसी व्यक्ति को रस्सी या चेन से जकड़कर रखना, डंडे या चाबूक से मारना, जूता भिगोये हुए पानी को पिलाना, मिर्च का धुआँ देना, व्यक्ति को छत पर टांगना, रस्सी या बालों से उसे जकड़कर रखना, व्यक्ति के अंगों या शरीर को गर्म वस्तुओं से छुआकर दर्द पहुँचाना, खुले में किसी व्यक्ति को लैंगिक कृत्य करने के लिए बाध्य करना, अमानवीय कार्य करना, व्यक्ति के मुहँ में जबरन मानवीय मूत्र या मल डालना या ऐसे कोई कार्य करना।

(२) व्यक्ति द्वारा तथाकथित चमत्कारों का प्रदर्शन करना और उसके द्वारा धन कमाना; और तथाकथित चमत्कारों का प्रचार करके तथा फैलाकर उसके द्वारा लोगों को धोका देना, भूलावा देना और आतंकित करना।

(३) अलौकिक शक्ति का वरदान प्राप्त करने की दृष्टि से, अमानवीय, अनिष्ट और **अघोरी** प्रथाओं का अनुसरण करना जो जीवन के लिए खतरनाक हो या गंभीर चोट पहुँचाएँ; ऐसी प्रथाओं का अनुसरण करने के लिए दूसरों को उकसाना, प्रोत्साहित करना या बाध्य करना।

(४) मूल्यवान चीजें, गुप्त धन तथा जल स्त्रोत ढूँढने के लिए या **करणी, भानामती** के नाम से इन्हीं कारणों के लिए कोई अमानवीय, अनिष्ट और **अघोरी** कृत्य करना और **जारण-मारण** या उस जैसे के नाम पर नरबलि देना या देने का प्रयास करना या ऐसे अमानवीय कार्य करने के लिए सलाह देना, उकसाना या प्रोत्साहित करना।

(५) ऐसी घोषणा करना कि किसी के शरीर में दैवी आत्मा ने प्रवेश किया है या उस व्यक्ति के पास ऐसी दैवी शक्ति है; और उससे दूसरों के मन में डर पैदा करना या ऐसे व्यक्ति की सलाह न मानने पर दूसरों पर अनिष्ट परिणाम भुगतने का भय फैलाना या धोखा देना और उसे कपट करना।

(६) यह घोषित करना कि विशिष्ट व्यक्ति **करणी**, काला जादू करता है या भूत छाया से ग्रस्त करता है या **मंत्र-तंत्र** द्वारा मवेशीओं की दुग्ध क्षमता कम करता है ऐसा लोगों में विश्वास निर्माण करना या ऐसे व्यक्ति

के बारे में संदेह पैदा करना या विशिष्ट व्यक्ति पर यह आरोप लगाना कि उसके कारण अन्य लोगों पर विपत्ति आयी है या वह बीमारीयाँ फैलाने के लिए जिम्मेदार है ऐसा दोष करना और उससे ऐसे व्यक्ति का जीवन दुखदायी, कष्टप्रद और कठिन बनाना; व्यक्ति को **शैतान** या **शैतान** का अवतार घोषित करना।

(७) **जारण-मारण**, **करणी** या **चेटूक** के नाम पर किसी व्यक्ति पर हमला करना, नग्नावस्था में उसे घूमाना या उसके दैनिक क्रियाकलापों पर रोक लगाना।

(८) सामान्यतः भूत के प्रादुर्भाव या **मंत्रों** का जाप कर आम लोंगो के मन में भय पैदा करना या भूत के आव्हान की धमकी देना, यह आभास पैदा करना कि ऐसी कोई दुष्टात्मा या दैवी कोप है जो व्यक्ति को शारीरिक चोटें पहुँचा रही है और उसे चिकित्सा उपचार लेने से रोकना और उसके बदले उसे अमानवीय, अनिष्ट और **अघोरी कार्य** या उपचार करने के लिए प्रेरित करना, काला जादू या अमानवीय कार्य करके या करवा कर व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाना या शारीरिक पीड़ा पहुँचाना या आर्थिक क्षति पहुँचाना।

(९) कुत्ता, सर्प या बिच्छु दंश के मामले में व्यक्ति को चिकित्सा उपचार लेने से मना करना तथा रोकना और उसके बदले में मंत्र-तंत्र, गंडा-डोरा या इसी तरह की अन्य चीजों से उपचार करना।

(१०) उंगलियों द्वारा शल्यचिकित्सा करने का दावा करना या महिलाओं के गर्भाशय में भ्रुण के लिंग परिवर्तन का दावा करना।

(११) (क) ऐसा आभास पैदा करना कि अमुक व्यक्ति के पास विशेष दैवी शक्ति है, अन्य व्यक्ति का या पवित्र आत्मा का अवतार है या भक्तगण उसके पिछले जन्म की पत्नी, पति या उप-पत्नी, उप-पति था, इससे उसे ऐसे व्यक्ति के साथ लैंगिक संबन्ध बनवाना;

(ख) जो महिला गर्भधारण करने में असमर्थ हैं उसे दैवी शक्ति के ज़रिए मातृत्व देने का विश्वास दिलाकर उसके साथ लैंगिक संबन्ध रखना।

(१२) ऐसा आभास पैदा करना कि, मतिमन्द व्यक्ति के पास दैवी शक्ति है और उसके द्वारा अन्यों की लूटमार करना।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती ललिता शि. देठे,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2013.

THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० दिसम्बर, २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २० दिसम्बर २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

सन् १९६१ का महा. २४।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

और क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के चौंसठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाए ।

सन् १९६१ का महा. २४।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ ग ख में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की धारा ७३ ग ख की, उप-धारा (१५) में, "३१ दिसम्बर २०१३ के पूर्व" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान में "३१ दिसम्बर २०१४ के पूर्व" शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती ललिता देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2013.

THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL UNIVERSITIES (KRISHI VIDYAPEETHS) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2013

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ दिसंबर २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2013.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL UNIVERSITIES (KRISHI VIDYAPEETHS) ACT, 1983

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २४ दिसंबर २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९८३ का महा. ४१।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९१३ का महा. अध्या. क्र. १७।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय **(कृषि विद्यापीठ)** अधिनियम, १९८३ में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (**कृषि विद्यापीठ**) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१३, २५ अक्तूबर २०१३ को प्रख्यापित हुआ था ;

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय **(कृषि विद्यापीठ)** (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाए।

(२) यह २५ अक्तूबर २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा २ में संशोधन।

सन् १९८३ का महा. ४१।

२. महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय **(कृषि विद्यापीठ)** अधिनियम, १९८३ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की, धारा २ के खण्ड (ठ) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (ठ-१) " भर्ती बोर्ड " का तात्पर्य, धारा ५८ के अधीन गठित महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय भर्ती बोर्ड से है ; "।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा १२ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की, धारा १२ की उप-धारा (२) के, खण्ड (ख) में, " परिषद का उपाध्यक्ष " शब्दों के पश्चात्, निम्न जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" और उपाध्यक्ष, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, अपनी नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा । उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा ; और राज्य सरकार यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और इष्टकर प्रतित करती है तो, आदेश द्वारा किसी भी समय पर उसे पद से हटा सकेगी :

परन्तु, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (**कृषि विद्यापीठ**) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१३ के प्रारम्भण के दिनांक पर, पद धारण करनेवाला परिषद का उपाध्यक्ष, ऐसा पद तत्काल रिक्त करेगा। "। सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. १७।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा २१ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा २१ की, उप-धारा (१) में, " चयन समिति " शब्दों के स्थान में, " भर्ती बोर्ड " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा २३ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा २३ की, उप-धारा (१) में, " चयन समिति " शब्दों के स्थान में, " भर्ती बोर्ड " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा २४ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा २४ की, उप-धारा (१) में, " चयन समिति " शब्दों के स्थान में, " भर्ती बोर्ड " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा २५ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा २५ की, उप-धारा (१) में, " चयन समिति " शब्दों के स्थान में, " भर्ती बोर्ड " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा २६ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा २६ की, उप-धारा (१) में, " चयन समिति " शब्दों के स्थान में, " भर्ती बोर्ड " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा २७ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा २७ की, उप-धारा (१) में, " चयन समिति " शब्दों के स्थान में, " भर्ती बोर्ड " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा ५८ का प्रतिस्थापन।

१०. मूल अधिनियम की धारा ५८ के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

चयन बोर्ड या भर्ती बोर्ड की सिफारिश पर की जानेवाली अकादमिक कर्मचारीवृन्द सदस्यों की नियुक्ति।

" **५८.** (१) कोई व्यक्ति इस निमित्त बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के अनुसरण में, उस प्रयोजन के लिए गठित चयन बोर्ड की सिफारिश को छोड़कर, अकादमिक कर्मचारीवृन्द के सदस्य के रूप में, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा :

परन्तु, निदेशक (छात्र कल्याण निदेशक से अन्य) संकायाध्यक्ष, सहयुक्त संकायाध्यक्ष, विभाग प्रमुख और आचार्य के पदों की नियुक्तियाँ, सभी विश्वविद्यालयों में सामूहिक हो ऐसी राज्य सरकार द्वारा गठित किये गये महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय भर्ती बोर्ड की सिफारिश पर की जायेगी। भर्ती बोर्ड, राज्य परिषद के नियंत्रणाधिन होगा ।

(२) उप-धारा (१) के परन्तुक में, निर्दिष्ट भर्ती बोर्ड,—

(एक) राज्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जानेवाला अध्यक्ष ;

(दो) संबंधित विश्वविद्यालय का कुलपति ;

(तीन) राज्य में विश्वविद्यालयों के कार्यकारी परिषद के अशासकीय सदस्यों में से प्रति-कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जानेवाला एक अशासकीय सदस्य ;

(चार) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले दो विशेषज्ञ ;

(पाँच) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जानेवाले भारत कृषि अनुसंधान परिषद के दो प्रतिनिधि, जिसमें से एक जिसके लिए भर्ती की जानेवाली है उस विशिष्ट क्षेत्र में का विशेषज्ञ है उनसे मिलकर बनेगा।

(३) भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, राज्य परिषद का अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए भर्ती बोर्ड के एक सदस्य की नियुक्ति करेगा। ”।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. १७।

११. (१) महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (**कृषि विद्यापीठ**) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१३ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. १७ का निरसन और व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत किसी बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद)

ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2013.

THE MAHARASHTRA REGULATION OF SUGARCANE PRICE (SUPPLIED TO FACTORIES) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ दिसंबर २०१३ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2013.

AN ACT TO REGULATE THE PRICE OF SUGARCANE SUPPLIED TO SUGAR FACTORIES IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३, सन् २०१३।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २४ दिसंबर २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में शक्कर कारखानों को आपूर्ति किये जानेवाले गन्ने की कीमत विनियमित करने के लिए अधिनियम।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में शक्कर कारखानों को आपूर्ति किये जानेवाले गन्ने की कीमत विनियमित करने हेतु और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंम्भण।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र गन्ना कीमत विनियमन (कारखानों को आपूर्ति) अधिनियम, २०१३ कहलाए ।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

२. यह अधिनियम जब तक की संन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,–

(क) " बोर्ड " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन गठित गन्ना नियंत्रण बोर्ड से है ;

(ख) " मुख्य सचिव " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव से है;

(ग) " शक्कर आयुक्त " का तात्पर्य, शक्कर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य से है;

(घ) " कारखाना " का तात्पर्य, शक्कर कारखाने से है जहाँ शक्कर के उत्पादन से संबंधित कोई विनिर्माण प्रक्रिया कार्यान्वित की जा रही है या साधारण: बीजली की सहायता से कार्यान्वित है और पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी दिन पर जिसमे बीस या अधिक कर्मकार कार्यरत है या कार्यरत थे;

(ड़) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(च) " कारखाना अधिभोगी " का तात्पर्य, व्यक्ति जो कारखाने के कामकाज का नियंत्रण करता है और जहाँ उक्त कामकाज निदेशक, भागीदार या प्रशासक को सौंपा है ऐसे निदेशक, भागीदार या, यथास्थिति, प्रशासक से है;

(छ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है;

(ज) " सचिव " का तात्पर्य, सरकार के सचिव से है;

(झ) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है;

(त्र) " गन्ना " का तात्पर्य, शक्कर कारखाना या **खांडसारी** शक्कर विनिर्माण युनिट में उपयोग के लिए आशयित गन्ने से है;

(ट) " शक्कर उत्पादक " का तात्पर्य, भू-स्वामि समेत ऐसे व्यक्ति से है जो स्वयं: द्वारा या अपने परिवार के सदस्यों के जरिए या किराये के श्रमिकों के जरिए या दोनों द्वारा गन्ने की खेती करता है;

(ठ) " शक्कर मौसम " का तात्पर्य, १ अक्तूबर के प्रारम्भण और अगले वर्ष के ३० सितम्बर के समाप्ति के वर्ष से है।

गन्ना नियंत्रण बोर्ड।

३. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भण के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, इस अधिनियम के अधीन समनुदेशित ऐसे कर्तव्यों और कार्यों के अनुपालन के लिए राज्य के लिए गन्ना नियंत्रण बोर्ड (जिसे इसमें आगे, " बोर्ड " कहा गया है) गठित करेगी।

(२) बोर्ड की अधिकारिता संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगी।

(३) बोर्ड निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) मुख्य सचिव	. . अध्यक्ष;
(ख) सचिव, वित्त	. . सदस्य;
(ग) सचिव, सहकारिता	. . सदस्य;
(घ) सचिव, कृषि	. . सदस्य;
(ड़) राज्य के कारखानों में सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले पाँच प्रतिनिधि होंगे जिसमें से तीन सहकारी शक्कर कारखानों के और राज्य में अन्य शक्कर कारखानों से दो प्रतिनिधी	. . सदस्य;
(च) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले किसानों के पाँच प्रतिनिधि	. . सदस्य;
(छ) शक्कर आयुक्त	. . पदेन सदस्य-सचिव।

(४) बोर्ड के अशासकीय सदस्य, जैसा कि विहित किया जाए ऐसा भत्ता प्राप्त करेंगे।

(५) राज्य सरकर के प्रसादापर्यंत, अशासकीय सदस्य, नामनिर्देशिन के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। बोर्ड का एक बार नामनिर्देशित सदस्य दूसरी बार पुन-नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

(६) अशासकीय सदस्य, सरकार को अपने पद का इस्तिफा किसी भी समय, स्वयं लिखित द्वारा स्व-नाम के अधीन दे सकेगा किन्तु, उसका त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने तक वह अपने पद बर बना रहेगा।

(७) सरकार, अशासकीय सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी यदि वह निम्न किसी एक निरर्हता उपगत करता है, अर्थातः–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया होता है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है जो सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त करनेवाला है; या

(ग) विकृत चित का हुआ है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(घ) सदस्य के रुप में कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हुआ है।

(८) बोर्ड के कारोबार के संव्यवहार संबंधी बोर्ड की बैठक, कोरम और प्रक्रिया की सूचना जैसा कि विहित किया जाए ऐसी होगी।

(९) बोर्ड, संदलन मौसम बंद होने के पश्चात् और शक्कर मौसम की समाप्ति पर, संदलन मौसम शुरु होने के प्रारम्भण के पूर्व, वर्ष में अंतिम तीन बार में बैठक करेगी। बोर्ड का सदस्य-सचिव, अध्यक्ष के नियंत्रणाधिन अकसर बैठक बुला सकेगा जैसा आवश्यक समझे और ऐसा करते समय भी एक-तिहाई सदस्यों की आवश्यकता होगी।

(१०) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के मामले में जाँच करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल वाद का विचारण करते समय और विशेषत: निम्न मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :– सन १९०८ का ५।

(क) राज्य से किसी व्यक्ति को समन देना या उपस्थित रहने के लिए प्रवृत्त करना और शपथ पर जाँच करना;

(ख) किसी दस्तावेजों की खोज करना और उन्हें पेश करना;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की माँग करना;

(ङ) दस्तावेंजों या साक्षियों के परिक्षणों के लिए कमीशन जारी करना;

(च) किसी अन्य मामले जैसा कि विहित किया जाए।

(११) बोर्ड के कृत्य या कार्यवाहियाँ केवल इस कारण के लिए अवैध नहीं होगी कि ऐसे कृत्य या कार्यवाहीयाँ करते समय, बोर्ड में एक से अधिक न भरी हुई रिक्तियाँ की गई थी।

बोर्ड के कार्य।

४. बोर्ड, निम्न कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:–

(क) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, १९६६ के उपबंधो के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित की गयी उचित और लाभकारी कीमत के अतिरिक्त जिसे इसमें आगे, (**"**एफ आर पी**"** कहा गया है) किसानों को देय गन्ना मूल्य का विचार राजस्व शेयर आधार पर करेगी:

परंतु, यदि गन्ना कीमत नियत करते समय, बोर्ड, शक्कर से उपलब्ध वास्तविक राजस्व को विचार में लेगा और खोई (बगॅस), चाशनी (मोलैसिस), प्रेस-मड़ जैसे उप-उत्पादों के मूल्य समेत शक्कर मूल्य के आधार पर गन्ना कीमत नियत करना सुनिश्चित किया जाता है तो, ऐसे उप-उत्पादों के साथ शक्कर के कारखाना दर के पचहत्तर प्रतिशत के समान रकम प्राप्त होगा :

परंतु आगे यह कि, यदि उपर्युक्त तीनों उप-उत्पादोंके अवगणन के, केवल शक्कर के मूल्य के आधार पर शक्कर कीमत नियत करने का विनिश्चय किया जाता है तो शक्कर कीमत शक्कर कारखाना मूल्य (एक्स-मिल वॅल्यू) पचहत्तर प्रतिशत समान रकम के रुप में होगी।

(ख) किसी मामले पर विशेषत: गन्ने की खरीद और आपूर्ति के विनियमन के संबंध में सलाह देना जिसे सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ग) अधिनियम के किन्ही उपबंधों और तद्धीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन के मामले में, शक्कर आयुक्त के ध्यान में लाना और उसकी रोकथाम के लिए सुझाव देना;

(घ) कारखाना और गन्ना उत्पादक अधिभोगियों के बीच स्वास्थ्यकर संबंध बनाए रखने के मार्ग और उपायों की सिफारिश करना।

गन्ना उत्पादकों की अदायगी।

५. (१) कारखाने के अधिभोगी को गन्ने की यथाशीघ्र आपूर्ति की गई है तो उसकी प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर, सुसंगत समय पर उचित कीमत और लाभकारी कीमत के अनुसार न्यूनतम कीमत अदा करने के लिए कारखाना दायी होगा।

(२) अदागयी, कारखाने में गन्ने के अभिलिखित किये गये वजन के आधार पर की जायेगी।

(३) बोर्ड द्वारा नियत गन्ने के लिए वास्तविक अदागयी, दो चरणों में अदा की जायेगी। प्रथम उचित और लाभकारी कीमत की अदायगी होगी। देय गन्ने के अदागयी की शेष, धारा ४ के खंड (क) के उपबंधो के अनुसरण में, बोर्ड द्वारा अवधारित अर्ध वार्षिक कारखाना (पुराने मिल) कीमत और मूल्य प्रकाशन होने के बाद में किया जायेगा।

(४) कारखाना द्वारा की गई प्रत्येक अदायगी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केवल अपने बँक लेखा के जरिए किसानों को अदा की जायेगी।

अपराध और शास्तियाँ।

६. (१) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन करना अपराध होगा।

(२) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध पर, जो ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा से दण्डित किया जा सकेगा।

अपराधों का संज्ञान।

७. शक्कर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर, धारा ६ के अधीन दण्डनिय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न अधिकारितावाला न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अपराधों का प्रशमन।

८. (१) शक्कर आयुक्त, धारा ६ के अधीन दण्डनिय किसी अपराध के लिए कार्यवाहियाँ संस्थित करने के पूर्व या के पश्चात् संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपराध के प्रशमन के द्वारा धारा ५ उपबंधों के अधीन देय पचास हजार रुपयों की राशि या देय रकम की दुगनी राशि जो भी अधिक हो ऐसे व्यक्ति से स्वीकार की जायेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन शक्कर आयुक्त द्वारा अवधारित की जाए ऐसी रकम की अदायगी पर अधिकतर कार्यवाहियाँ समान अपराध के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जायेगी और कोई कार्यवाहियाँ यदि पहले ही की गई है तो उपशमित की जायेगी।

कंपनीयों द्वारा अपराध।

९. (१) जहाँ कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है, तो जब अपराध हुआ था उस समय कंपनी के कारोबार का संचालन का प्रभारी और कंपनी के लिए जिम्मेवार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति साथ ही साथ कंपनी अपराध के लिए दोषी माने जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तद्नुसार, दंडित किये जाने के लिए दायी होंगे:

परन्तु, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ठ कोई भी बात, इस अधिनियम में उपबंधित किसी शास्ति के लिए दायी ऐसे किसी व्यक्ति को यदि, वह साबित करता है कि अपराध, उसकी जानकारी के बिना किया गया था उसने ऐसा अपराध होने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती है।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा अपराध किया गया है और यह साबित होता है कि, अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या की मौनानुकूलता के कारण या की ओर से की गई किसी उपेक्षा से हुआ है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध के लिए भी दोषी समझे जायेंगे तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तद्नुसार दंडित किये जाने के दायी होंगे।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) " कंपनी " का तात्पर्य, निगमित निकाय से है और इसमें फर्म व्यष्टि संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, शामिल है; और

(ख) फर्म के संबंध में " निदेशक " का तात्पर्य, फर्म के भागीदार से है और किसी व्यष्टि संगम या व्यष्टि निकाय के संबंध में उसके कामकाज के नियंत्रण करनेवाले किसी सदस्य से है।

शक्कर आयुक्त लोक सेवक होगा।

सन् १८६० का ४५।

१०. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त शक्कर आयुक्त और प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, १८६० की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण।

११. इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाए गए किसी नियमों या आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किसे जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए, सरकार या किसी अधिकारी या पदाधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ चलायी नहीं जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

१२. (१) सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम,—

(क) बोर्ड के गैर-शासकीय सदस्यों को देय भत्ता;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में बोर्ड द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया;

(ग) प्ररुप जिसमें आवश्यक कोई सूचना दी जायेगी;

(घ) इस अधिनियम के अधीन विहित किये जानेवाले या किया जाए ऐसे कोई अन्य मामलें होंगे।

(३) नियम जब प्रथम बार के लिये किये गये है को छोडकर, इस अधिनियम के अधीन किये गये सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन किये जायेंगे।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के बाद, यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए जो चाहे एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों को मिलाकर हो, रखा जायेगा और यदि, उस सत्र के जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए राजी होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाए और उस प्रभाव का **राजपत्र** में ऐसा विनिश्चय अधिसूचित करते हैं, तो नियम **राजपत्र** में, ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के दिनांक से ऐसे उपान्तरित रुप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती ललिता शि. देठे,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.